

## अध्याय III

### जीएसटीएन की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा (चरण-II)

#### 3.1 प्रस्तावना

माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत 'नाट फॉर प्राफिट ओरगेनाइजेशन' के निगमित जीएसटीएन की स्थापना मुख्य रूप से जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों<sup>26</sup> को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। जीएसटीएन के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- विशेष रूप से जीएसटी लागू करने के लिए सरकार या सरकार के किसी भी विभाग या एजेंसी को अन्य ई-गवर्नेंस पहलों और किसी आईटी चलित पहलों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आईटी और संचार से संबंधित बुनियादी ढाँचे को तैयार करने में विभिन्न हितधारकों की सहायता और सहयोग करना;
- जीएसटी व्यवस्था में विरासत संपदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सुचारू रूप से बदलने का प्रावधान करने के लिए;
- सरकार या सरकार के किसी विभाग या एजेंसी द्वारा उठाए गए जीएसटी के कार्यान्वयन के जैसी ई-गवर्नेंस पहलों सहित विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए विभिन्न हितधारकों को आईटी और संचार से संबंधित सेवाएं प्रदान करना और
- विभिन्न हितधारकों को आईटी और संचार से संबंधित सेवाएं प्रदान करना ताकि उन्हें सरकार या सरकार के किसी विभाग या एजेंसी द्वारा शुरू की गई उन ई-गवर्नेंस पहलों के साथ अपने आईटी और संचार बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं को संरेखित करने के लिए तैयार किया जा सके।

---

<sup>26</sup> भारत सरकार और राज्य सरकारों का वित्त विभाग, करदाता, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), राज्य कर अधिकारी, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए), राज्य कोषागार, भारतीय रिजर्व बैंक और प्राधिकृत बैंक।

### 3.2 जीएसटीएन का संगठनात्मक ढांचा

आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, जीएसटीएन के निदेशक मंडल (बोर्ड) में कम से कम दो और अधिकतम 14 निदेशक होने चाहिए। जीएसटीएन के अध्यक्ष को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त अनुमोदन तंत्र के माध्यम से नामित किया जाएगा और बोर्ड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कंपनी के व्यवसाय के प्रबंध के लिए बोर्ड एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करेगा। वर्तमान संगठनात्मक ढांचे के तहत, सीईओ को कंपनी के विभिन्न कार्यों की देखभाल करने वाले कार्यकारी उपाध्यक्षों (ईवीपी) और वरिष्ठ उपाध्यक्षों (एसवीपी) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

### 3.3 जीएसटी आईटी पोर्टल

जीएसटी आईटी पोर्टल पूरे जीएसटी परिस्थितिकी तंत्र के मूल में रहा है, जो अपने जीएसटी अनुपालन कार्यों के लिए एक करोड़ से अधिक करदाताओं के लिए एक ही इंटरफेस प्रदान करता है। इसने संघ और राज्यों में कर प्रशासन के एकीकरण में मदद की है। जीएसटीएन द्वारा विकसित सार्वजनिक जीएसटी पोर्टल समग्र जीएसटी आईटी परिस्थितिकी तंत्र के फ्रंट-एंड के रूप में कार्य कर रहा है और इसमें पंजीकरण आवेदन दायर करने, रिटर्न दायर करने, कर भुगतान के लिए चालान बनाने, जीएसटी का भुगतान, आईजीएसटी भुगतान का निपटारा और बिजनेस इंटेलिजेन्स एवं एनालाइटिक्स (बीआई) उत्पन्न करना है। मै. इंफोसिस को सिस्टम डेवलपर और मैनेजड सर्विस प्रोवाइडर (एमएसपी) के तौर पर लगाया गया है। सीबीआईसी और राज्य कर विभागों की बैक-एंड आईटी प्रणालियों का उपयोग पंजीकरण अनुमोदन, निर्धारण, लेखापरीक्षा, अपील प्रवर्तन और अधिनिर्णयन, जैसे कर प्रशासन कार्यों के लिए किया जाता है। जहां छः<sup>27</sup> राज्य और सीबीआईसी कर प्रशासन के लिए अपनी स्वयं की आईटी प्रणाली विकसित कर रहे हैं, वहीं जीएसटीएन को 25 अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए इसके विकास का कार्य सौंपा गया है।

<sup>27</sup> गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, सिक्किम और तमिलनाडु

### 3.4 जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा (चरण-II)

#### 3.4.1 पृष्ठभूमि-आईटी लेखापरीक्षा (चरण-I)

जीएसटीएन का आईटी लेखापरीक्षा दो चरणों में किया गया है। मई-अगस्त 2018 के दौरान लेखापरीक्षा का चरण-I संचालित किया गया था। लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि क्या संघ और राज्यों के बीच पंजीकरण, जीएसटी भुगतान और इन्टि-ग्रेटिड जीएसटी (आईजीएसटी) के निपटान के लिए आईटी मॉड्यूल जीएसटी व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप थे। बिजनेस कंटेन्यूटि प्लान (बीसीपी) और चेन्ज मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमपी) के पहलुओं को भी शामिल किया गया था। 2019 की सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.11 में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सूचित किए गए थे। प्रमुख निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

##### 3.4.1.1 प्रमुख निष्कर्ष- आईटी लेखापरीक्षा (चरण-I)

**3.4.1.1.1 पंजीकरण मॉड्यूल:** सिस्टम वेलिडेशन कई मामलों में जीएसटी अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे जिससे जीएसटी पंजीकरण मॉड्यूल में महत्वपूर्ण कमियां रह गई जैसे कि कम्पोजिशन लेवी योजना का लाभ उठाने से अयोग्य करदाताओं को मान्यता देने और वंचित करने में प्रणाली की विफलता, पंजीकरण में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) डाटाबेस आदि के साथ प्रमुख क्षेत्रों के सत्यापन की कमी (कानूनी नाम, व्यवसाय का प्रकार और कॉर्पोरेट पहचान संख्या)।

**3.4.1.1.2 भुगतान मॉड्यूल:** भुगतान मॉड्यूल, 1 जुलाई 2017 से परिचालन होने के बावजूद परिचालन कमियों जैसे कि करदाता द्वारा कर के सफल भुगतान के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक कैश खाता बही (ईसीएल) को अद्यतन करने में देरी, जीएसटी प्राप्तियों के सामंजस्य के मुद्दे आदि, से भरा हुआ था।

**3.4.1.1.3 आईजीएसटी निपटान रिपोर्ट:** संबंधित जीएसटी मॉड्यूल जैसे आयात और अपील के कार्यान्वयन न करने के कारण सभी आईजीएसटी

निपटान खाता बही सृजित नहीं हो पा रहे थे। इसके निपटान एल्गोरिदम में अशुद्धियों और निपटान के लिए आवश्यक सभी सूचना के पता करने में जीएसटीआर-3बी विवरणी की सीमा के साथ युग्मित होने से, केन्द्र और विभिन्न राज्यों की निधि के निपटान पर असर पड़ा।

**3.4.1.1.4 अन्य निष्कर्ष:** इसके अतिरिक्त, सिस्टम डिजाइन में कमियां थी, बीसीपी को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और सीएमपी में कमी थी।

### 3.4.2 जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र (चरण-II)

#### • लेखापरीक्षा उद्देश्य

- यह आंकलन करना कि क्या जीएसटीएन द्वारा लागू किए गए प्रतिदाय और विवरणी मॉड्यूल, जीएसटी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस)<sup>28</sup> को शासित करने वाले अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप थे।
- जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र में ई-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) की समीक्षा करने के लिए, जो जीएसटीएन की देखरेख में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया है।
- आईटी लेखापरीक्षा के चरण-I में नोट किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर की गई कार्यवाही पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा।

#### • लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

हमने, लेखापरीक्षा योजना और कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए जीएसटीएन के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ एक एंटी कानफ्रेंस (अक्टूबर 2019) आयोजित जिसके बाद जीएसटीएन आईटी एप्लीकेशन के माध्यम से व्यापार प्रक्रियाओं और सूचना के प्रवाह को समझने के लिए चर्चा, प्रस्तुतियां और वॉक-थ्रू किए गए।

<sup>28</sup> सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस) (सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है), एक दस्तावेज या दस्तावेजों का समूह है जो एक प्रणाली या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की विशेषताओं और व्यवहार का वर्णन करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व शामिल हैं जो ग्राहक द्वारा अपने विभिन्न उपयोगकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक इच्छित कार्यक्षमता को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं।

जीएसटी और एसआरएस को शासित करने वाले प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों में परिकल्पित अनुसार महत्वपूर्ण फार्म और कार्यक्षमताओं का हमारा परीक्षण सर्वप्रथम जीएसटी प्रणाली के प्रशिक्षण वातावरण पर आयोजित किया गया था। उत्पादन वातावरण से डाटा, विभिन्न लेखापरीक्षा जांच के वैधीकरण के लिए मांगा गया था। लेखापरीक्षा की प्रमुख जांच के लिए, हमने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए कुछ महीनों के लिए चयनित राज्य के डाटा का विश्लेषण किया। भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली (आईसीईएस) के साथ एकीकरण को निर्यात पर आईजीएसटी प्रतिदाय की लेखापरीक्षा के भाग के रूप में निष्पादित किया गया था।

हमने राजस्व विभाग (डीओआर) द्वारा जारी आरंभ योजना और निर्देशों और उन प्रमुख कारणों की भी समीक्षा की जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न मॉड्यूलों में विलंबित कार्यान्वयन/कार्यान्वयन न करना हुआ। अक्टूबर 2019 से जून 2020 के दौरान लेखापरीक्षा का आयोजन किया गया। हमने जीएसटीएन वरिष्ठ प्रबंधन के साथ मुख्य आईटी लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा के लिए एक एग्जिट कानफ्रेंस का आयोजन किया (10 जुलाई 2020)। इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर जीएसटीएन की प्रतिक्रिया (11-20 जुलाई 2020) को उपयुक्त रूप में शामिल किया गया है। मॉड्यूल-वार लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी पैराग्राफों में सूचित किया गया है।

- **लेखापरीक्षा मापदंड**

स्त्रोत जहां से आईटी लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मापदंड प्राप्त किया गया था, उसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम, यूटीजीएसटी अधिनियम, एसजीएसटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान और उनके संबंधित नियम और विनियम।
- सीबीआईसी जैसे कर प्राधिकरणों की अधिसूचनाएं
- प्रतिदाय, विवरणी और ई-वे बिल मॉड्यूल की व्यवसाय प्रक्रिया।
- एसआरएस।

- **पावती**

लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब प्रस्तुत करने के लिए और लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी और रिकार्ड उपलब्ध कराने में जीएसटीएन, एनआईसी और सिस्टम और डाटा प्रबंधन महानिदेशालय, सीबीआईसी (डीजीएस) के सहयोग को लेखापरीक्षा स्वीकार करता है। इस अध्याय में चर्चा की गई अभ्युक्तियों पर ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैरा को मंत्रालय को 27 अगस्त 2020 में भेजा गया था। तथापि, मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

### 3.5 निष्कर्षों का विहंगावलोकन – आईटी लेखापरीक्षा (चरण-II)

#### 3.5.1 आईटी लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विहंगावलोकन

प्रतिदाय मॉड्यूल, विवरणी मॉड्यूल, ईडब्ल्यूबी प्रणाली और बीसीपी की हमारी जांच में इन मॉड्यूलों के कार्यान्वयन में जोखिम वाले क्षेत्रों की ओर इशारा करती हुई नियंत्रण और वैधीकरण की कमियों का पता चला। इस संबंध में, हमने लेखापरीक्षा किए गए सभी मॉड्यूलों से संबंधित 56 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को जारी किया। इनमें से जीएसटीएन द्वारा 29 मामलों को स्वीकृत किया गया। जीएसटीएन ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए 17 मामलों को स्वीकार नहीं किया। 5 मामलों में, जीएसटीएन ने यह बताया कि मामले नीति से संबंधित हैं और इन्हें आगे के निर्देशों के लिए डीओआर/विधि समिति के साथ लिया जाएगा। पांच लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का जवाब अब तक प्रतीक्षित है।

---

*14 मामलों में (परिशिष्ट-II), रोलड आउट मॉड्यूल में मौजूदा प्रमुख वैधीकरणों/कार्य क्षमताओं को लागू प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया, भले ही एसआरएस को सही ढंग से तैयार किया गया था।*

---

प्रतिदाय माँड्यूल, रिटर्न माँड्यूल, ईडब्ल्यूबी और बीसीपी पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित चार भागों में दिया गया है।

### 3.6 चरण-1 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्यवाही

हमने यह निर्धारण करने के लिए अनुवर्ती लेखापरीक्षा का आयोजन किया कि क्या जीएसटीएन ने चरण-1 लेखापरीक्षा में रिपोर्ट किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुसंशाओं पर प्रभावी कार्यवाही की है। जीएसटीएन ने यह सूचित किया कि उसने पहले ही 42 अभ्युक्तियों में से 25 पर सुधारात्मक कार्यवाही लागू कर दी है। लेखापरीक्षा ने सुधारात्मक कार्यवाही की समीक्षा की और यह देखा कि जीएसटीएन ने 19 मामलों में कमी को सफलतापूर्वक ठीक कर लिया है। शेष 23 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति नीचे दी गई है (परिशिष्ट-III) :

सुधारात्मक कार्यवाही की स्थिति	अभ्युक्तियों की संख्या	माँड्यूल-वार ब्रेकअप
सुधारात्मक कार्यवाही सफलतापूर्वक लागू की गई	19	पंजीकरण:15 भुगतान: 2 आईजीएसटी निपटान: 2
जीएसटीएन के सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के बावजूद भी मुद्दे अभी भी बने हुए हैं।	6	पंजीकरण: 2 आईजीएसटी निपटान: 4
जीएसटीएन द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है और यथासमय में कार्यान्वित किया जाएगा	12	पंजीकरण:7 भुगतान: 1 आईजीएसटी निपटान: 4
अन्य एंजेसियों की तरफ से सुधारात्मक कार्यवाही लंबित है	5	भुगतान: 3 आईजीएसटी निपटान: 2

महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां जहां सुधारात्मक कार्यवाही को अब तक लागू नहीं किया गया है, परिशिष्ट-3 में सूचीबद्ध है।

### 3.7 प्रतिदाय माँड्यूल

#### 3.7.1 प्रतिदाय माँड्यूल के विषय में

जीएसटी के तहत, प्रतिदाय किसी भी राशि को संदर्भित करता है जो प्रशासन द्वारा कर करदाता को देय है। जीएसटी कानून में निहित प्रतिदाय से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रतिदाय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करना है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 और धारा 77 में सन्निहित प्रासंगिक प्रावधान और सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89(1) और 89(2) में विभिन्न स्थितियों का विहंगावलोकन दिया गया है जिन्हें प्रतिदाय दावे की आवश्यकता है। निम्नलिखित तालिका उन प्रमुख श्रेणियों को दर्शाती है जिनके तहत प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है और 29 सितम्बर 2019 तक आरएफडी-01<sup>29</sup> के माध्यम से दायर किए गए प्रतिदाय आवेदनों का विवरण है।

---

<sup>29</sup> सामान्य कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति (एनआरटीपी), कर कटौतीकर्ता, कर संग्रहणकर्ता और अन्य पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति के लिए प्रतिदाय (मैनुअल) के लिए आवेदन



तालिका सं. 3.1: 29 सितम्बर 2019 तक दायर की गई प्रतिदाय आवेदन की स्थिति

प्रतिदाय श्रेणी	संख्या	राशि (करोड़ में) <sup>30</sup>
माल/सेवाओं का निर्यात- कर के भुगतान के बगैर, यानि संग्रहित आईटीसी <sup>31</sup>	2,13,309	78,751
अवतरित कर ढांचे के कारण संग्रहित आईटीसी (धारा 54(3) के लिए परंतुक का खंड (ii))	1,06,245	23,683
ईसीएल <sup>32</sup> में अतिरिक्त जमा राशि	2,05,866	5,349
सेवाओं का निर्यात- कर भुगतान सहित	19,252	3,901
विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) इकाई/एसईजेड डेवलप (कर भुगतान के बिना) को की गई आपूर्ति के कारण	8,253	3,136
एसईजेड इकाई/एसईजेड डेवलप (कर भुगतान के साथ) को की गई आपूर्ति के कारण	21,727	1,850
कर का अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो	5,916	561
डीमड निर्यात के आपूर्तिकर्ता	1,521	542
डीमड निर्यात के प्राप्तकर्ता	2,024	492
एक अंतर-राज्य आपूर्ति पर भुगतान किया गया कर, जो बाद में अंतरा-राज्य आपूर्ति और इसके विपरीत (आपूर्ति के स्थान में परिवर्तन) आयोजित किया जाता है।	130	156
निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण	919	60
अन्य	22,507	3,772
<b>कुल</b>	<b>6,07,669</b>	<b>1,22,253</b>

<sup>30</sup> तालिका में डाटा दिनांक 29 सितंबर 2019 जीएसटीएन सारांश रिपोर्ट से लिया गया

<sup>31</sup> इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अर्थ है आउटपुट पर भुगतान योग्य कर से इनपुट पर भुगतान किये गए कर को कम करना।

<sup>32</sup> नकद में या बैंक के माध्यम से किया गया कोई भी जीएसटी भुगतान ईसीएल में दर्शाया जाता है। ईसीएल में शेष राशि को प्रतिदाय आवेदन पत्र आरएफडी-01 को जमा करके प्रतिदाय के रूप में दावा किया जा सकता है

### 3.7.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जीएसटी प्रतिदाय माँड्यूल की आईटी लेखापरीक्षा का आयोजन इसलिये किया गया था कि:

- क) निर्धारण करे कि क्या जीएसटीएन द्वारा आरंभ प्रतिदाय माँड्यूल की उचित योजना बनाई गई और समयसीमा के अनुसार प्रभावी ढंग से लागू किया गया।
- ख) निर्धारण करें कि क्या जीएसटीएन द्वारा आरंभ प्रतिदाय माँड्यूल, जीएसटी अधिनियम/नियमावली/अधिसूचनाओं यथा संशोधित के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप है।
- ग) निर्धारण करें कि क्या माल के निर्यात पर आईजीएसटी के प्रतिदाय के संबंध में दो आईटी प्रणालियों (जीएसटी और सीमा शुल्क) के बीच एकीकरण को प्रभावी ढंग से शुरू किया गया है।
- घ) निर्धारण करें कि क्या प्रतिदाय माँड्यूल रोलआउट ने करदाताओं के व्यापार करने में आसानी को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।


### 3.7.3 प्रतिदाय माँड्यूल का आरंभ

जीएसटी पोर्टल के प्रतिदाय माँड्यूल में करदाता द्वारा प्रतिदाय आवेदन की ऑनलाईन फाइलिंग और कर विभाग द्वारा दावों के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण की परिकल्पना की गई थी। प्रतिदाय एक मुख्य करधान कार्यक्षमता है और इसलिए इस कार्यक्षमता को जीएसटी के स्वयं के आरंभ के पहले दिनों से आरंभ किया जाना चाहिए था। हालांकि, जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने पर कोई प्रतिदाय माँड्यूल नहीं था। प्रतिदाय माँड्यूल को निम्नलिखित समयसीमा के अनुसार आरंभ किया गया था:


- (क) निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी की वापसी के मामले में, अक्टूबर 2017 में जीएसटी पोर्टल में प्रतिदाय स्वीकृति का स्वचालित मार्ग परिनियोजित किया गया था। इसमें आईसीईएस के साथ एकीकरण शामिल था, जो प्रतिदाय दावों के स्वचालित सत्यापन का उपयोग करता है।

- (ख) प्रतिदाय की अन्य श्रेणियों के लिए नवंबर 2017 तक, जीएसटी पोर्टल पर कार्यक्षमता प्रदान नहीं की गई थी। नवंबर 2017 के बाद से करदाता द्वारा ऑनलाइन प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के लिए जीएसटी पोर्टल में प्रावधान किया गया था। इसके बाद, करदाता आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेकर सहायक दस्तावेजों के साथ कर अधिकारी के पास जमा कराएगा। कर अधिकारी बाद में पोर्टल के बजाय फाइलों में प्रतिदाय दावों की आगामी प्रक्रिया करेगा और प्रतिदाय को स्वीकृत करेगा। यह अनिवार्य रूप से एक फेसलैस आईटी इंटरफेस के बजाय कर अधिकारी के साथ परिहार्य इंटरफेस की आवश्यकता पर प्रतिदाय अनुमोदन प्रक्रिया का मैन्यूअल प्रसंस्करण था। यह प्रणाली दिसंबर 2018 तक चालू रही।
- (ग) इसके बाद दिसंबर 2018 में, जीएसटी पोर्टल में एक फीचर चालू हुआ जिसमें सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रतिदाय आवेदन फार्म आरएफडी-01ए को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाना था। इसके बाद, दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर अधिकारी के डैशबोर्ड पर भेजा जाना था। हालांकि, प्रतिदाय आवेदन के प्रसंस्करण के लिए विभिन्न पोस्ट सबमिशन स्टेजों को मैन्यूअल रूप से किया जाता रहा है जैसा कि चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।
- (घ) प्रतिदाय का यह मैन्यूअल प्रसंस्करण 26 सितंबर 2019 तक जारी रहा जब जीएसटीएन ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से कर विभाग द्वारा प्रतिदाय प्रसंस्करण से एकल प्राधिकरण वितरण तक, एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय प्रसंस्करण वातावरण प्रदान किया। इस प्रक्रिया प्रवाह को चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट सं. 3.1: प्रतिदाय का मैन्यूअल प्रसंस्करण



चार्ट सं. 3.2: प्रतिदाय का ऑनलाइन प्रसंस्करण



इस प्रकार, जीएसटी प्रतिदाय माइयूल को पूरी तरह से सितम्बर 2019 में ही आरंभ किया गया था, जो जीएसटी के आरंभ होने के दो वर्षों बाद हुआ था। जीएसटीएन द्वारा बताई गई बाधाएं, जो देरी से आरंभ होने का कारण थीं वे निम्नानुसार थीं:

- क) जुलाई 2017 में जीएसटी पोर्टल के रोल आऊट से पहले के महीनों के दौरान जीएसटी नियमावली में बार-बार परिवर्तन एवं अंतिम रूप देने में देरी।
- ख) शुरुआती जीएसटी विवरणी तंत्र की व्यवस्था और जीएसटीआर-2 एवं 3 को प्रस्थागित रखने के कारण सम्पूर्ण जीएसटी प्रतिदाय मॉड्यूल को पुनः संस्कृत किया जाना।
- ग) मॉडल-1 राज्यों की तत्परता पर रोलआऊट की निर्भरता:- मार्च 2019 में, जीएसटीएन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिदाय आवेदन के प्रसंस्करण के व्यवसायिक प्रवाह के साथ तैयार किया था। हालांकि, मॉडल-1 राज्यों और सीबीआईसी के पास अपनी बैंकएंड प्रणाली है और प्रतिदाय मॉड्यूल को सभी मॉडल-1 राज्यों और सीबीआईसी की तत्परता के बिना परिनियोजित नहीं किया जा सकता है।
- घ) एकल संवितरण प्रक्रिया:- प्रारंभिक आरएफडी-01ए प्रवाह में एक ऑफलाइन वितरण प्रक्रिया थी, जिसमें प्रतिदाय राशि केन्द्रीय और राज्य प्राधिकारियों (क्रमशः सीजीएसटी और एसजीएसडी घटकों) दोनों द्वारा संवितरित की जानी थी। अतंतोगत्वा पीएफएमएस के माध्यम से एकल प्राधिकारी संवितरण को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था। इसके कारण, न केवल सीबीआईसी और मॉडल-1 राज्यों बल्कि पीएफएमएस की भी तत्परता को ध्यान में रखते हुए मॉडल-1 राज्यों के साथ एकीकरण प्रक्रिया को संशोधित करना पड़ा।

प्रतिदाय मॉड्यूल करदाताओं के लिए उच्च प्रासंगिकता वाला एक महत्वपूर्ण माड्यूल है, तथा जिसे जीएसटीएन द्वारा प्राथमिकता और शीघ्रता से किया जाना चाहिए था। प्रतिदाय मॉड्यूल के रोल आऊट में हितधारकों के बीच उचित नियोजन और समन्वय द्वारा तेजी लाई जा सकती थी।

आईटी लेखापरीक्षा में जीएसटी आईटी प्रणाली के प्रतिदाय मॉड्यूल में कमियों का पता चला, जिसमें उन क्षेत्रों को शामिल किया गया जहां जीएसटी आईटी प्रणाली जीएसटी अधिनियमों एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण निम्नानुसार था:

### 3.7.3.1 प्रतिदाय मॉड्यूल के आईटी लेखापरीक्षा पर निष्कर्षों का अवलोकन

प्रतिदाय मॉड्यूल की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पर्याप्त नियंत्रणों का अभाव, असत्यापित आईटीसी पर प्रतिदाय का दावा करने का जोखिम और माल के निर्यात पर आईजीएसटी प्रतिदाय के लिए आईसीईएस अनुप्रयोग के साथ जीएसटी पोर्टल के एकीकरण में कमियां देखी गईं। इस लेखापरीक्षा के भाग के रूप में प्रतिदाय मॉड्यूल से संबंधित अठारह लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को देखा गया था, जिनमें से 15 जीएसटीएन को जारी की गई थी और तीन डीजीएस को जारी की गई थी। जीएसटीएन को जारी की गई 15 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से जीसीटीएन द्वारा आठ को स्वीकार किया और चार को स्वीकार नहीं किया गया था। शेष 3 के लिए, जीएसटीएन ने जवाब दिया कि नीतिगत मामला होने के कारण इस मुद्दे को आगे की कार्रवाई के लिए डीओआर/विधि समिति को संदर्भित किया जाएगा। डीजीएस को जारी की गई दो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का जवाब नवम्बर 2020 तक प्रतीक्षित है।

### 3.7.3.2 जीएसटी प्रतिदाय तंत्र में निरंतर जोखिम

अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय होते हैं जो माल एवं सेवाओं के उत्पादन के दौरान संचित होते हैं। इन प्रतिदाय श्रेणियों में, एक करदाता को संचित किए गए आईटीसी के बराबर नकद में भुगतान किया जाता है। इस तरह की प्रणाली की प्रभावशीलता करदाता द्वारा दावा किए गए आईटीसी सत्यापन/दोबारा जांच करने के अंतर्निहित तंत्र और इसकी प्रमाणिकता सुनिश्चित करने पर निर्भर करती हैं। हालांकि, वर्तमान जीएसटी प्रणाली में, इस तरह का तंत्र नहीं है जिससे असत्यापित आईटीसी पर प्रतिदाय का दावा करने का जोखिम है, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में बताया गया है।

मूल जीएसटी प्रणाली में, जीएसटी पोर्टल आईटीसी को सत्यापित करता और आईटीसी के निर्बाध प्रवाह को विवरणी जीएसटीआर-1,2 एवं 3 के माध्यम से प्राप्त किए जाने की परिकल्पना की गई थी। यह परिकल्पना की गई थी कि आपूर्तिकर्ता जीएसटीआर-1 के माध्यम से महीने के दौरान उनके द्वारा की गई बाहरी आपूर्ति का बीजक वार विवरण फाइल करेंगे। इन विवरणों को फॉर्म जीएसटीआर-2ए के माध्यम से पंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना था, जो अन्य आपूर्ति के विवरण को शामिल करने के

बाद फॉर्म जीएसटीआर-2 प्रस्तुत करने वाले थे। आपूर्तिकर्ता द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए फॉर्म जीएसटीआर-1 को उसके द्वारा स्वीकार किए गए संशोधन की सीमा तक संशोधित किया जाता।

एक पंजीकृत विक्रेता द्वारा फाइल किए गए जीएसटीआर-2 का विक्रेता के जीएसटीआर-1 के साथ सामंजस्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह सामंजस्य महत्वपूर्ण है क्योंकि खरीद पर आईटीसी केवल तभी उपलब्ध होगी जब खरीदार के जीएसटीआर-2 विवरणी में फाइल किए गए खरीद के विवरण विक्रेता के जीएसटीआर-1 में की गई बिक्री के विवरण के साथ मेल खाते हैं। जीएसटीआर-3, जीएसटी देयता की राशि के साथ महीने के दौरान बिक्री और खरीद के विवरण के साथ मासिक विवरणी, जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-2 से स्वतः उत्पन्न होना था।

हालांकि, जीएसटीआर-2 एवं 3 को स्थगित रखा गया था। जीएसटीआर-3 के बदले में, एक नया फॉर्म जीएसटीआर-3बी को विवरणी सार के रूप में सरकार द्वारा सम्मिलित किया गया था। जीएसटीआर-3बी को करदाता से कर एकत्र करने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में पेश किया गया था, जब तक कि प्रारंभिक जीएसटीआर-1,2 एवं 3 की जगह एक नया विवरणी ड्राफ्ट परिनियोजित नहीं किया जाता है। हालांकि, नये विवरणी ड्राफ्ट को नवम्बर 2020 तक आरंभ नहीं किया और जीएसटीआर-3बी का लगातार उपयोग हो रहा है। अन्य विवरणी से या को जीएसटीआर-3बी से या के लिए में कोई ऑटो-पोपुलेशन नहीं है। जीएसटीआर-3बी में सभी विवरण विशुद्ध रूप से करदाता इनपुट पर आधारित है।

इस प्रकार, जीएसटीआर-1,2 और 3 के माध्यम से विवरणी के बीजक मिलान तंत्र, जैसा कि मूल रूप से परिकल्पित हैं कार्यात्मक नहीं हैं। जीएसटीआर-3बी में कर देयता का भुगतान करने के लिए एक स्व-निर्धारित सार विवरणी होने के कारण दावा किए गए आईटीसी की कोई वैधीकरण नहीं होने से एक जोखिम है कि, करदाता कर का भुगतान किए बिना आईटीसी श्रृंखला में आईटीसी पास कर दें।

जवाब में, जीएसटीएन ने कहा (जुलाई 2020) कि उन्होंने मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रतिदाय व्यापारिक प्रक्रिया को विकसित किया है और सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी परिवर्तनों को कार्यान्वित किया गया है।

जीएसटीएन के जवाब को इन तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि आईटीसी ट्रांसमिशन के कई स्तरों के बाद प्रतिदाय का दावा करने के लिए इन पारित आईटीसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के फर्जी प्रतिदाय दावों को रोकने का एकमात्र तरीका प्रतिदाय प्रसंस्करण अधिकारी (आरपीओ) द्वारा प्रतिदाय दावों को संसाधित करते समय सत्यापित किया जाना है। हालांकि यह आरपीओ के लिए व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है कि प्रत्येक हर आईटीसी दावे का स्रोत प्राप्त कर सके, विशेष रूप से जहां आईटीसी श्रृंखला में वास्तविक करदाताओं के बीच बड़ी संख्या में परते हो सकती है। इस प्रकार झूठे आईटीसी पर फर्जी प्रतिदाय दावों का जोखिम परिकल्पित विवरणी के अपूर्ण रोल आऊट और अपनाए गए वैकल्पिक तंत्र (जीएसटीआर-3बी) में सामंजस्य/ऑटो-पोपुलेशन की कमी के कारण जीएसटी इको-प्रणाली में एक अंतर्निहित जोखिम है।

### **3.7.3.3 आईटीसी की अधूरी रि-क्रेडिटिंग करने की सुविधा जहां दूसरे और बाद के अवसर पर डिफिशेन्सी मेमों (डीएम) जारी किया गया था।**

सीजीएसटी नियम 90(3) प्रदान करता है “जहां कोई कमियां देखी जाती है, वहां उचित अधिकारी फॉर्म जीएसटी आर एफडी-3” में आवेदक को कमियां बतायेगा”, जिसके लिए उसे एक नया प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता होगी। नियम 93(1) के अनुसार, “जहां किसी भी कमी को पूर्वोक्त के तहत बताया गया है, तो नियम 89 के उप-नियम (3) के तहत डेबिट की गई राशि को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता में रि-क्रेडिट किया जाता है।

हमने देखा कि जब एक करदाता जीएसटी पोर्टल पर प्रतिदाय की विभिन्न श्रेणियों के तहत एक आवेदन दाखिल करता है, तो करदाता के आईटीसी खाता में दावा किए गए प्रतिदाय के बराबर राशि को डेबिट किया जाता है। यदि आरपीओ आवेदन पर एक डीएम जारी करता है, तो करदाता के आईटीसी खाता को आरपीओ द्वारा डीएम के जारी करने के पहले अवसर पर दावा किए गए प्रतिदाय की राशि के साथ रि-क्रेडिट किया जाता है। यदि करदाता फिर से उसी



अवधि के लिए प्रतिदाय के लिए आवेदन करता है, तो करदाता के आईटीसी खाता को डेबिट किया जाता है लेकिन यदि आरपीओ दूसरे अवसर पर और बाद के डीएम में आगे डीएम जारी करता है तो आईटीसी खाता को रि- क्रेडिट प्राप्त नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप करदाताओं के आईटीसी में रुकावट आ सकती है।

जीएसटीएन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2020) और कहा कि एक कोड त्रुटि के कारण, कुछ मामलों में, प्रणाली ने आईटीसी को रि-क्रेडिटिंग नहीं किया था, हालांकि कर अधिकारी ने आगे डीएम जारी किए। जीएसटीएन ने कहा (13 जुलाई 2020) कि कमी को 21 जनवरी 2020 को दूर किया गया था और सभी प्रभावित मामलों में आईटीसी रि-क्रेडिटिंग द्वारा डाटा फिक्स के माध्यम से समाधान किया गया था।

#### **3.7.3.4 कर के भुगतान के बिना निर्यात के मामले में प्रणाली द्वारा अधिक प्रतिदाय की अनुमति (एलयूटी)**

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(3)(ए) प्रावधान करती है कि व्यक्ति बांड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलयूटी) के तहत माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति, आईजीएसटी के भुगतान के बिना कर सकता है और अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा कर सकता है। आईटीसी की योग्य प्रतिदाय राशि की गणना करने के लिए, सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89(4) ने निम्नलिखित सूत्र बताया है:-

प्रतिदाय राशि= माल की शून्य-रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर + सेवाओं की शून्य-रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर) x नेट आईटीसी÷ समायोजित कुल टर्नओवर (स्टेटमेंट-3ए)

इस प्रतिदाय श्रेणी का इरादा एक निर्यातक को आईटीसी पर प्रतिदाय प्रदान करना है जो उसने निर्यात माल/सेवाओं को बनाने के लिए आवश्यक घेरेलू इनपुटों को खरीदते समय जमा किया है। हमने देखा कि प्रणाली को इस तरह के कार्यान्वित किया गया है कि करदाता के लिए यह संभव है कि वह उस आईटीसी जो उसने निर्यात माल/सेवाओं को बनाने के लिये आवश्यक इनपुटों

को खरीदते समय जमा किया था से अधिक आईटीसी प्रतिदाय का दावा कर सके जो कि निम्नलिखित मामले में विस्तृत है।

केस अध्ययन:-

एक करदाता ने “कर के भुगतान के बिना माल के निर्यात पर आईटीसी के प्रतिदाय” श्रेणी के तहत अक्टूबर 2019 माह के लिए ₹59,24,756 के प्रतिदाय के लिए आवेदन फाइल किया गया। हमने देखा कि उस अवधि के लिए माल के निर्यात का कुल करयोग्य मूल्य सिर्फ ₹ 70,689 था। हालांकि, इस मामले में, ₹ 70,689 के निर्यातों के प्रति ₹ 59.25 लाख को प्रतिदाय के रूप में मंजूरी दी गई थी जो कि मंजूर प्रतिदाय एक निर्यात के अनुपात में 8381.4 प्रतिशत था। इस प्रकार, यह अतिरिक्त प्रतिदाय की मंजूरी का मामला है। एक संभावना यह भी है कि आईटीसी जिसके लिए प्रतिदाय मंजूर किए गए हैं वे सभी निर्यात से संबंधित न हों।

उपरोक्त मामला स्पष्ट रूप से दिखाता है कि स्वीकृत किए गए आईटीसी के प्रतिदाय निर्यात के वास्तविक मूल्य से अधिक विषमानुपाती था। जीएसटीएन ने एल्यूटी श्रेणी के तहत प्रतिदायों के 9136 मामलों के नमूना डाटा<sup>33</sup> प्रदान किए हैं। हमने देखा कि इन मामलों में से 143 में मंजूर किया गया। प्रतिदाय निर्यात मूल्य के विषमानुपाती था। इन 143 मामलों में से 27 में, स्वीकृत किए गए प्रतिदाय निर्यात मूल्य से अधिक थे एवं टर्नओवर के अनुपात में स्वीकृत किए गए प्रतिदाय 103.24 प्रतिशत से 8381.4 प्रतिशत<sup>34</sup> के बीच थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रणाली को इस तरह से बनाया गया है कि यह निर्यात मूल्य के आधार पर प्रतिदाय के दावे को प्रतिबंधित नहीं करता है और इस प्रकार करदाताओं को इस कार्यात्मकता के माध्यम से उच्च आईटीसी नकदीकरण प्राप्त करने से सक्षम बनाता है। नमूना डाटा पूछताछ परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस तरह के मामले वास्तव में हो रहे हैं तथा

<sup>33</sup> 01 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के लिए कर के भुगतान के बिना माल/सेवाओं के निर्यात के कारण सभी प्रतिदाय मामले जिनमें प्रतिदाय दावा, स्वीकृत राशि और कर योग्य मूल्य जैसे विवरण शामिल हैं।

<sup>34</sup> ये ऐसे मामले हैं जहां स्वीकृत प्रतिदाय निर्यात मूल्य के 28 प्रतिशत (अधिकतम जीएसटी दर) से अधिक था।

निर्यात मूल्य की तुलना में संभव अधिकतम आईटीसी से कहीं अधिक प्रतिदाय को भी स्वीकृत किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के जवाब में, जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि कार्यात्मकता को कानूनी आवश्यकताओं/प्रावधानों के अनुसार सख्ती से विकसित किया गया है और चूंकि अभ्युक्तियां नीति से संबंधित है और न की आईटी से, जीएसटीएन लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए नीति के मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। इसके अलावा, जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति इस धारणा पर आधारित है कि भुगतान के बिना माल और सेवाओं के निर्यात प्रतिदाय स्वचालित है अर्थात् एकबार प्रतिदाय आवेदन फाइल करने पर, राशि स्वचालित रूप से स्वीकृत हो जाती है। हालांकि, यह मामला नहीं है। प्रतिदाय आवेदन को संसाधित करने वाले क्षेत्र अधिकारी करदाता के पूर्ववृत्त का सत्यापन करते हैं और प्रतिदाय आवेदन को मंजूरी देने से पहले मामले की संवीक्षा करते हैं, और इस प्रकार फ्लाइ-बाई-नाईट ऑपरेटर्स द्वारा फर्जी प्रतिदाय दावों के लेखापरीक्षा कथन में योग्यता का अभाव है।

हम समझते हैं कि प्रणाली को नियम प्रावधानों के अनुसार बनाया गया है। हालांकि, निर्यातों पर आईटीसी के प्रतिदाय का इरादा यह है कि निर्यात किए गए माल के लिए घरेलू रूप से कर भुगतान निर्यात किए गए माल के अनुपात में होना चाहिए। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों से पता चला कि प्रणाली निर्यात किए गए माल में कर भुगतान से कहीं अधिक प्रतिदाय की अनुमति देती है और जो कानून के इरादे के अनुरूप नहीं है। वर्तमान में भारत के बाहर निर्यात किए गए माल (जिसके लिए प्रतिदाय संभव है) के साथ भारत में बेचे गए माल के कारण (जिसके लिए प्रतिदाय स्वीकार्य नहीं है) शेष अप्रयुक्त आईटीसी को अलग करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम जीएसटीएन के विवाद से सहमत नहीं हैं कि अकेले आरपीओ इस तरीके के फर्जी दावों के प्रति एक प्रभावी जांच है। आईटी प्रणाली को जोखिम को उजागर करने में क्षेत्र अधिकारी की सहायता करने और प्रभावी नियंत्रण बनाने के लिए यथा संभव प्रयास करना चाहिए। इस मामले में, इस तरह के मामलों की पहचान और उन्हें रोकने के लिए आईटी प्रणाली की संभावना को कम उपयोग किया गया है एवं आरपीओ पर सम्पूर्ण जोखिम न्यूनीकरण की जिम्मेदारी डाल दी गई है।

जीएसटी जैसी जटिल प्रणाली में, यह संभव है कि नियम के प्रावधान सभी संभावित परिदृश्यों को कवर न कर सके। जीएसटीएन इस मुद्दे को चिन्हित करने और प्रणाली में पर्याप्त सत्यापन करने के लिए डीओआर/विधि समिति के साथ मामले पर परामर्श कर सकता है। जीएसटीएन ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि इस मामले पर विधि समिति द्वारा विचार किया गया है और जीएसटीएन को अभी तक इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है।

*सिफारिश 1:* जीएसटीएन निर्यात किए गए माल के टर्नओवर के अनुपात में एल्यूटी के तहत दावा किए गए प्रतिदाय को प्रतिबंधित करने के लिए वैधीकरण को कार्यान्वित कर सकते हैं।

### **3.7.3.5 अनिवार्य वैधीकरण प्रणाली में नहीं डाला गया (एसईजेड को आपूर्तियों के बीजकों का पृष्ठांकन विवरण अनिवार्य नहीं किया गया था)**

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89 के उप-नियम (2) में यह प्रावधान है कि उप-नियम (1) के तहत आवेदन फार्म जीएसटी आरएफडी-01 के अनुलग्नक 1 में किसी भी निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ, जैसा लागू हो, आवेदक के बकाया प्रतिदाय को स्थापित करने के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिये: नामतः (डी) एक सेज इकाई या सेज डेवलपर को किए गए माल की आपूर्ति के मामले में उप नियम (1) के दूसरे प्रावधान में निर्दिष्ट पृष्ठांकन से संबंधित साक्ष्य के साथ नियम 46 में प्रदान किए गए बीजकों की संख्या और तारीख सहित एक विवरण उप-नियम (1) के दूसरे प्रावधान में निर्दिष्ट पृष्ठांकन से संबंधित साक्ष्य और भुगतान का ब्यौरा उसके सबूत सहित, सेज अधिनियम 2005 के तहत परिभाषित के रूप प्राधिकृत परिचालनों के लिए आपूर्तिकर्ता को प्राप्तकर्ता द्वारा बनाया गया, ऐसे मामले जहां एक सेज इकाई या एक सेज डेवलपर को किए गए सेवाओं के आपूर्ति के कारण प्रतिदाय होता है। प्रतिदाय एसआरएस के पैराओं 5.4.6 एवं 5.4.7 के अनुसार, सेज इकाई/सेज डेवलपर को की गई आपूर्ति के कारण प्रतिदाय के मामलों में, आवेदन को अनिवार्य रूप से सेज विवरण शिपिंग बिल/निर्यात बिल/एंडोर्सड बीजक दर्ज करना आवश्यक है। सेज श्रेणी की आपूर्तियों पर प्रतिदाय के मामले में, सेज द्वारा एंडोर्सड बीजक एक सबूत है कि सेज को वास्तव में आपूर्तियां की गई हैं।

हमने देखा कि प्रणाली में करदाता को कर के भुगतान के साथ सेज यूनिट/डेवलपर को किए गए आपूर्तियों के प्रति प्रतिदाय आवेदन दाखिल करते समय सेज (प्रतिदाय आवेदन के विवरण-4 में) द्वारा एंडोर्सड बीजकों का विवरण प्रदान किए बिना प्रतिदाय आवेदन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार, कर के भुगतान के बिना सेज इकाई/डेवलपर को की गई आपूर्तियों के प्रति प्रतिदाय आवेदन को भी प्रतिदाय आवेदन के विवरण-5 में सेज द्वारा एंडोर्सड बीजकों के विवरणों को प्रदान किए बिना दर्ज किया जा सकता है। एस आर एस के प्रावधानों के अनुसार सेज द्वारा एंडोर्सड बीजकों का सत्यापन अनिवार्य था और प्रणाली में कार्यान्वित नहीं किया गया है। एंडोर्सड बीजक के विवरणों का वैधीकरण किए बिना, यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि सेज से निर्यात (जिसके प्रति प्रतिदाय स्वीकृत किया गया है) वास्तव में हुआ है।

जवाब में, जीएसटीएन ने उल्लेख किया (जून 2020) कि आईटी कार्यात्मकता के विकास में अन्य आईटी प्रणालियों के साथ सहज एकीकरण की आवश्यकता होती है, घटक आईटी प्रणालियों की साक्षेप परिपक्वता और तैयारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब कठोर परीक्षण और जांच के बाद भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईजीएटीई) के साथ एकीकरण स्थिर हो गया है इसलिए, आईसीईजीएटीई के माध्यम से सेज एंडोर्सड बीजक डाटा वैधीकरण की प्रक्रिया का कार्यान्वयन करने के लिए हाथ में लिया गया है। जीएसटीएन ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि वे वर्तमान में एकीकरण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए आईसीईजीएटीई/सेज ऑनलाइन के साथ बातचीत कर रहे हैं। जीएसटीएन ने यह भी बताया कि कर अधिकारियों के पास सेज ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंच है, जिसमें प्रतिदाय आवेदन को संसाधित करते समय एंडोर्सड बीजकों को सत्यापित किया जा सकता है।

कर अधिकारियों की सेज ऑनलाइन तक पहुंच और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करना आईटी प्रणाली द्वारा स्वचालित वैधीकरण करने का एक प्रभावी विकल्प नहीं है। जोखिम शामिल होने के कारण सेज के साथ एकीकरण जीएसटीएन के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए थी। तथ्य यह है कि जीएसटी के रोलआउट होने के तीन साल बाद भी और इस तरह के वैधीकरण के लिए

एसआरए में प्रावधान होने के बावजूद, प्रणाली में इस जोखिम को कम करने के लिए सेज प्रणाली के साथ एकीकरण को प्राप्त नहीं किया गया है।

**सिफारिश 2:** जीएसटीएन सेज ऑनलाइन प्रणाली के साथ जीएसटी पोर्टल के एकीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

### 3.7.3.6 “विद-होल्ड” कार्यात्मकता अनुरोध का कार्यान्वयन न होना

सीजीएसटी नियम 96(4)(ए) और (5) के अनुसार, भारत के बाहर निर्यात किए गए माल (या सेवाओं) पर एकीकृत कर भुगतान के प्रतिदाय के लिए दावा रोका जाएगा जहां जीएसटी/सीमा-शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए प्रतिदाय के भुगतान को रोकने के लिए जीएसटी के क्षेत्र आयुक्त से ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ है। जहां प्रतिदाय इन प्रावधानों के अनुसार रोका गया है, सीमा शुल्क स्टेशनों पर एकीकृत कर का उचित अधिकारी आवेदक और जीएसटी के क्षेत्र आयुक्त को सूचित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति सामान्य पोर्टल में संचरण करेगा।

हमने देखा कि जीएसटी आयुक्त द्वारा शिपिंग बिलों के “विद होल्ड” के अनुरोध के मुद्दे के लिए कार्यात्मकता कर के भुगतान के साथ निर्यात के प्रतिदाय के मामले में, प्रणाली को विकसित/कार्यान्वित नहीं किया गया था। डीजीएस के साथ पूछताछ करने पर यह भी पुष्टि की गई थी कि रोके हुए मामलों में जीएसटी का कोई इलेक्ट्रॉनिक संचरण नहीं है।

जीएसटीएन ने स्वीकार किया (अप्रैल 2020) कि “विद-होल्ड” कार्यात्मकता को पूर्ण रूप में कार्यान्वित नहीं किया गया है। जीएसटीएन ने सूचित किया कि कार्यात्मकता को रोकने और जारी करने के संबंध में कार्य प्रवाह की विधि समिति में चर्चा चल रही है और फॉर्मों को अधिसूचित किया जाना है। इसके अलावा, जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि चूंकि अभ्युक्ति नीति से संबंधित हैं और आईटी से नहीं, जीएसटीएन लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए नीतिगत मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकता है।

“विद-होल्ड” कार्यात्मकता के अभाव में, निर्यातकों को और अधिक प्रतिदाय की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। हम आईजीएसटी प्रतिदाय को निलंबित करने के लिए सीमा शुल्क बंदरगाहों से सीधे जीएसटी कमिश्नरी को

लिखने के अलावा जोखिम को कम करने के लिए किसी भी वैकल्पिक तंत्र से अनजान है जो कि अक्षम हैं और प्रतिदायों की पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण की दृष्टि के अनुरूप नहीं हैं। “विद-होल्ड” का प्रावधान शुरू से ही कानून में था, और रोलिंग आऊट की आवश्यकता बहुत पहले ही अनुमानित हो जानी चाहिए थी। इस कार्यात्मकता को रोलिंग-आऊट नहीं करने की जिम्मेदारी जीएसटीएन सहित सभी हितधारकों की है।

जीएसटीएन ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि उन्होंने विधि समिति के साथ इस मुद्दे को चिन्हित किया और अभी तक इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है।

*सिफारिश 3:* जीएसटीएन जल्द ही “विद-होल्ड” को कार्यान्वित करने के लिए व्यापार प्रवाह और आवश्यक फॉर्मों को अंतिम रूप देने के लिए डीओआर के साथ मामले को आगे बढ़ा सकता है।

### **3.7.3.7 प्रतिदाय के भुगतान में देरी पर ब्याज के लिए कार्यात्मकता को प्रणाली में कार्यान्वित नहीं किया गया था**

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 56 में यह प्रावधान है कि यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उप-धारा (5) के तहत कर प्रतिदाय करने का आदेश दिया जाता है, और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है और ऐसी दर पर ब्याज जो छः प्रतिशत से अधिक नहीं है, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति के तुरन्त बाद की तारीख से इस तरह के प्रतिदाय के संबंध में देय होगा। प्रतिदाय के दावे जो कि एक अधिनिर्णयन प्राधिकारी या अपीलिय प्राधिकारी या अपीलीय ट्रिब्यूनल या कोर्ट द्वारा पारित किए गए आदेश से उत्पन्न होते हैं, जो अंतिम रूप से प्राप्त हो चुके हैं, भी इन प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

हमने देखा कि

- प्रतिदाय की देरी से सवीकृति पर देय (स्वचालित/मैनुअल) ब्याज की गणना करने के प्रावधानों को एसआरएस में शामिल करने के लिए नहीं

माना गया और इसके परिणामस्वरूप प्रणाली में कार्यान्वित नहीं किया गया।

- आरएफडी-05 फॉर्म (भुगतान सलाह) में ब्याज क्षेत्र उन मामलों में भी भरना अनिवार्य नहीं है जहां प्रतिदाय आवेदन के बाद से 60 दिन बीत चुके हैं।
- ऐसा कोई क्षेत्र उपलब्ध नहीं है जहां आरपीओ को उन मामलों में ब्याज स्वीकृत नहीं करने के कारण का उल्लेख करना होता है जहां प्रतिदायों को 60 दिनों के बाद स्वीकृत किया गया है।

हमने यह भी देखा कि यदि करदाता को प्रतिदाय भुगतान के साथ ब्याज प्रदान नहीं किया गया है तो ब्याज के लिए आवेदन करने के लिए जीएसटी पोर्टल में कोई प्रावधान नहीं है इसका एक विशिष्ट उदाहरण नीचे दिया गया है।

हमने देखा कि एक को करदाता प्रतिदाय के साथ ब्याज का भुगतान नहीं किया था। वह अपनी शिकायत के निराकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय पहुंचा। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि कॉमन पोर्टल पर ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है जिससे पंजीकृत व्यक्ति देरी से प्रतिदाय पर मुआवजे/ब्याज का दावा करने के लिए आवेदन कर सके। उच्च न्यायालय ने इस विवाद से सहमति व्यक्त की और करदाता को प्रतिदाय के देरी से भुगतान के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जहां प्रतिदाय दावा के भुगतान के समय पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

जवाब में, जीएसटीएन ने जवाब दिया (अप्रैल 2020) कि कर अधिकारी मैनुअली ब्याज की राशि की गणना कर के शामिल कर सकता है। जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि प्रतिदाय की देरी की मंजूरी पर ब्याज की गणना में कई परिदृश्य शामिल हैं जिन्हें असंख्य कारकों के कारण प्रणाली द्वारा कुशलतापूर्वक पकड़ा जाना मुश्किल था। जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि प्रणाली विभिन्न परिदृश्यों में प्रतिदाय पर ब्याज की गणना नहीं कर सकती जैसे अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में करदाता द्वारा अनुपालन, जैसे, एकल आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) के प्रति कई भुगतान आदेश, उचित अधिकारी द्वारा प्रतिदाय पर रोक और उसके बाद जारी करना, करदाता द्वारा



बैंक खाते का अद्यतन न होने के कारण देरी, पीएफएमएस द्वारा निर्धारिती मास्टर सत्यापन प्रक्रिया आदि इसी प्रकार, कुछ बाहरी कारक हैं जो नियंत्रण से बाहर हैं जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, नेटवर्क टूटना, विभिन्न राज्यों के अवकाश कैलेंडरों में अंतर आदि जो प्रतिदाय राशि की मंजूरी में देरी कर सकते हैं। इसलिए इन सभी परिदृश्यों की परिकल्पना करना और ब्याज की स्व-गणना की कार्यक्षमता प्रदान करना व्यवहार्य नहीं होगा।

जीएसटीएन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ज्यादातर मामलों में ब्याज की गणना अपेक्षाकृत सरल हैं। ब्याज गणना सुविधा को कार्यान्वित नहीं करने के लिए अपवाद परिदृश्यों का हवाला देना, हमारे विचार में, प्रक्रिया की प्रभावशीलता और स्वचालन को प्राप्त करने में आईटी की क्षमता का कम उपयोग है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, जीएसटीएन ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि प्रतिदाय की स्वीकृति और भुगतान किए जाने के बीच देरी भी हो सकती है। जीएसटी पोर्टल के बाहर होने के कारण से इस तरह की देरी के लिए ब्याज स्वचालित रूप से गणना करना संभव नहीं होगा। हम जीएसटीएन के विवाद से सहमत नहीं हैं क्योंकि भुगतान चरण में देरी कम अवधि की होने की संभावना है चूंकि यह मुख्य रूप से पीएफएमएस बैंको के साथ एकीकरण से जुड़ी एक स्वचालित प्रक्रिया हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि यह देरी ब्याज की गणना के बाद होगी, इसलिए यह ब्याज की राशि को प्रभावित नहीं करेगा चाहे ब्याज गणना हाथ से या स्वचालित रूप से की गई हैं या नहीं। इसलिए इस कारण का हवाला देते हुए ब्याज की स्वतः गणना का कार्यान्वयन न करने की महत्ता नहीं हैं।

एक आईटी आवेदन का उद्देश्य मैन्युअल प्रक्रियाओं को बिल्कुल दोहराना नहीं है। इसके बजाय, आईटी प्रणाली को जहां कहीं भी संभव हो प्रक्रियाओं की क्षमताओं और स्वचालन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह तत्काल मामले में प्राप्त नहीं किया गया है।

जीएसटीएन ने करदाता के मामले में ब्याज के लिए आवेदन करने के लिए जीएसटी पोर्टल में प्रावधान की कमी के बारे लेखापरीक्षा अभ्युक्ति कि जो देरी

से प्रतिदाय के भुगतान के साथ ब्याज प्रदान नहीं किया गया का जवाब नहीं दिया।

*सिफारिश 4:* जीएसटीएन प्रतिदाय के देरी से भुगतान पर ब्याज की स्व-गणना की कार्यत्मकता को कार्यान्वित कर सकता है, और करदाता को ब्याज के लिए आवेदन करने के लिए जीएसटी पोर्टल में एक कार्यत्मकता के लिए प्रावधान कर सकता है यदि विभाग द्वारा प्रतिदायों की देरी से मंजूरी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है।

### **3.7.3.8 राज्य क्षेत्र प्राधिकारी को अन्य अधिसूचित व्यक्तियों (ओएनपी) के आरएफडी 10 का आवंटन न करना**

जीएसटी प्रतिदाय मॉड्यूल के लिए एसआरएस का पैरा 6.3 यूएन निकायों/दूतावासों/ओएनपी के लिए प्रतिदाय आवेदन का मुख्य प्रवाह (एमएफ) प्रदान करता है। एसआरएस में प्रावधान है कि ओएनपी द्वारा दाखिल किए गए -आरएफडी-10' को पंजीकरण फॉर्म में आवेदक द्वारा चयनित प्राधिकरण के आधार पर राज्य/केन्द्र को भेजा जाएगा और यूएन निकायो/दूतावासों द्वारा दाखिल किए गए आरएफडी-10 को एपीआई<sup>35</sup> के माध्यम से सीबीआईसी को भेजा जाएगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने क्षेत्र प्राधिकार के रूप में "राज्य प्रशासन में अन्य अधिसूचित व्यक्ति" श्रेणी के तहत एक प्रतिरूपी प्रतिदाय आवेदन दाखिल किया। हमने देखा कि आवेदन को प्रतिदाय के लिए राज्य क्षेत्राधिकार के किसी भी अधिकारी को नहीं सौंपा गया था। यह "अद्वितीय पहचान संख्या (यूआईएन) के अन्य अधिसूचित व्यक्ति" के तहत प्रतिदाय आवेदन की कमियां दर्शाता है और यह संभावना है कि आवेदन सौंपा ही न जाए।

जीएसटीएन ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया (जून 2020) और कहा कि "यूआईएन के अन्य अधिसूचित व्यक्ति" की श्रेणी के तहत पंजीकृत बहुत कम है और एआरएन को निर्दिष्ट करने के प्रस्तावित तर्क में सभी राज्यों और सीबीआईसी की पूर्ण बैक एंड प्रणालियों का विकास होगा, जिसके एकीकरण के लिए कई एपीआई की भी आवश्यकता होगी। अन्य महत्वपूर्ण

<sup>35</sup> एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस

उपयोगी मामलों के विकास और बाद में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित कार्यात्ममता को परिणाम की तुलना में अनुपातहीन प्रयास को ध्यान में रखते हुए कम प्राथमिकता दी गई थी। जीएसटीएन ने कहा (जुलाई 2020) कि लेखापरीक्षा अभियुक्ति को नोट किया गया और इस आशय के लिए एक परिवर्तन अनुरोध (सीआर) किया गया है।

### **3.7.3.9 पूंजीगत माल के आईटीसी की कटौती के लिए ऑटो-एक्सक्लूजन कार्यत्ममता का अभाव**

जीएसटी व्यवस्था में, करदाता तैयार माल में इस्तेमाल होने वाले आगतों पर भुगतान किए गए कर पर टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2(59) के अनुसार, “इनपुट” का अर्थ है कोई भी वस्तु पूंजीगत माल के अलावा जो व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा उपयोग होती है।

मूल विवरणी ड्राफ्ट (जीएसटीआर-3) में, आगत माल, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के संबंध में अलग से लाभ लिए गए आईटीसी को कैचर करने का प्रावधान था। इसने प्रणाली को प्रतिदाय आवेदनों की प्रसंस्करण करते समय पूंजीगत माल को छोड़कर आईटीसी की पहचान करने में सक्षम बनाया होता। हालांकि यह जीएसटीआर-3 को स्थागित रखा गया था और इसके बजाय सरकार ने एक नया सारांश विवरणी अर्थात् जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत किया। जीएसटीआर-3बी के ड्राफ्ट में इनपुट माल, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के आईटीसी के लिए अलग से क्षेत्र नहीं है और इसलिए वर्तमान विवरणी ड्राफ्ट में पूंजीगत माल से आईटीसी को इनपुट माल/सेवाओं से अलग करने का कोई तंत्र नहीं है।

प्रशिक्षण वातावरण में “परिवर्तित कर संरचना” श्रेणी के तहत प्रतिदाय आवेदनों का परीक्षण करते समय, हमने देखा कि निवल आईटीसी का मूल्य उनके विवरणी (जीएसटीआर-3बी) में करदाता द्वारा आईटीसी का मूल्य लेने से ऑटो-पॉपुलेटड होता है। इसमें निवल आईटीसी के मूल्य के विवरणी अवधि के दौरान प्राप्त किए गए पूंजीगत माल (जो प्रतिदाय योग्य नहीं है) के आईटीसी भी शामिल हो सकते हैं। करदाता के पास उपलब्ध कुल आईटीसी से पूंजीगत माल

के आईटीसी की पहचान करने और उन्हें बाहर करने के लिए प्रणाली में कोई कार्यक्षमता उपलब्ध नहीं है। न ही करदाता को प्रतिदाय आवेदन दाखिल करते समय पूंजीगत माल के कारण आईटीसी को बाहर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जिसके कारण अतिरिक्त प्रतिदाय को मंजूरी दी जा सकती है।

बताए जाने पर, जीएसटीएन ने जवाब दिया (मई 2020) कि परिवर्तित शुल्क संरचना (आईडीएस) के कारण प्रतिदाय के मामले में पूंजीगत माल के आईटीसी को हटाने के लिए निर्देश को शामिल करने के लिए सीआर की गई है। जीएसटीएन ने आगे कहा (मई 2020) कि करदाता पूंजीगत माल पर प्राप्त की गई आईटीसी को बाहर करने के लिए नीचे संपादित कर सकते हैं और आरपीओ को मुद्दे के समाधान के लिए प्रतिदाय आवेदन के जीएसटीआर-2ए में आवक बीजको के ऑटो-पोप्यूलेशन तक पहुंच प्राप्त है।

पूंजीगत माल पर आईटीसी को बाहर करने के निर्देश के बजाय प्रतिदाय आवेदन फॉर्म (या प्रस्तावित नये विवरणी फॉर्म में) में अतिरिक्त क्षेत्र बनाए जा सकते हैं, जिसमें करदाता प्रतिदाय के लिए आवेदन करते समय पूंजीगत माल पर आईटीसी को स्पष्ट रूप से घोषित करता है ताकि इसे कुल आईटीसी से बाहर किया जा सके। जवाब में, जीएसटीएन ने कहा कि भले ही पूंजीगत/गैर-पूंजीगत आईटीसी का चिन्ह डाला जाता है जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया है, तो भी प्रणाली करदाताओं द्वारा चुने जा रहे चिन्ह की सत्यता को मान्य नहीं कर पाएगी और फिर यह भी एक स्व-घोषणा होगी जिसका वर्तमान में पालन किया जा रहा है।

कानूनी स्थिति यह है कि पूंजीगत माल पर आईटीसी का प्रतिदाय उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए, पूंजीगत माल से संबंधित आईटीसी को अतिरिक्त प्रतिदाय की गलत मंजूरी के प्रति सुरक्षा के लिए अलग से पहचान योग्य होनी चाहिए। ऐसा क्षेत्र करदाता के लिए जानबूझकर या गलती से प्रतिदायों में पूंजीगत माल पर आईटीसी को शामिल करने के लिए एक बाधा होगी। इसके अलावा, यह आरपीओ को जोखिमों की पहचान करने में आसानी से मदद करेगा, यदि उस क्षेत्र में असामान्य मूल है (जैसे व्यापार के प्रोफाइल के सापेक्ष पूंजीगत माल के मूल्य पर बहुत कम आईटीसी)। हमने यह भी नोट किया कि बॉड या एल्यूटी

के तहत कर के भुगतान के बिना माल या सेवाओं के निर्यात की प्रतिदाय श्रेणी में समान जोखिम होते हैं।

जीएसटीएन ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव उचित कार्रवाई/निर्देश के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

*सिफारिश 5:* जीएसटीएन आईडीएस की प्रतिदाय आवेदन तथा कर के भुगतान के बिना माल या सेवा या दोनों के निर्यात में अतिरिक्त क्षेत्रों को बनाने की व्यवहार्यता और प्रतिदाय दावा राशि की गणना के लिए उपयोग किए गए आईटीसी से उसे बाहर करने के लिए पूंजीगत माल से संबंधित करदाता की आईटीसी की घोषणा की समीक्षा कर सकते हैं।

### **3.7.3.10 पर्याप्त नियंत्रणों/वैधिकरण के अभाव में प्रतिदाय का अतिरिक्त दावा**

सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 89(2) (एच) प्रावधान करता है कि प्रतिदाय आवेदन को धारा 54 की उप-धारा (3) के तहत किसी अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय से संबंधित दावे ऐसे मामलों में जहां विवरण 1ए द्वारा संलग्न किए जाएंगे, जहां क्रेडिट उत्पाद आपूर्तियों पर आपूर्तियों की शून्य दर या पूरी तरह छूट के अलावा, कर की दर इनपुटों पर कर की दर से उच्च होने के कारण संचित किया गया है (अर्थात् परिवर्तित कर संरचना) प्रतिदाय आवेदन फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01ए/01 के साथ विवरण 1ए में, करदाता इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवक और जवाब आपूर्तियों की बीजक वार विवरणों को प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार करदाता विवरण-1 में माल और सेवाओं की परिवर्तित दर पर कि गई आपूर्ति की कुल बिक्री का प्रावधान करता है। विवरण-1 में कुल बिक्री विवरण-1ए में बीजकों की कुल बिक्री से कम या बराबर होना चाहिए। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी आपूर्तियों के लिए बीजक का विवरण उपलब्ध है जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है।

हमने देखा कि 69 जीएसटीआईएन ने जावक आपूर्तियों के चालानों के कुल मूल्य की तुलना में विवरण-1 में माल और सेवाओं की आपूर्ति की परिवर्तित दर की कुल बिक्री का मूल्य उच्च घोषित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक की अवधि के लिए अखिल भारतीय आधार

पर विवरण-1ए में प्रदान किया गया था। इन दो तालिकाओं के बीच कुल बिक्री का अन्तर ₹ 652.21 करोड़ था।

जवाब में, जीएसटीएन ने कहा कि (जुलाई 2020) कि परिवर्तित शुल्क संरचना (आईडीएस) प्रतिदाय के मामलों में प्रतिदाय आवेदन के विवरण-1 में कुल बिक्री के लिए सत्यापन जोड़ने के लिए 15 जून 2020 को एक सीआर दी गई है, एक बार अन्य प्राथमिकता वाले सीआर विकसित किए जाने के बाद इसे विकास के लिए लिया जाएगा।

**सिफारिश 6:** जीएसटीएन विवरण-1ए में प्रदान कि गई संगत प्रविष्टियों के साथ विवरण-1 में आपूर्ति की परिवर्तित दर की कुल बिक्री को सत्यापित करने के लिए प्रणाली में सत्यापन को कार्यान्वित कर सकता है।

#### **3.7.3.11 प्रतिदाय के लिए आवेदन करने के लिए अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता के लिए कार्यात्मकता को कार्यान्वित नहीं किया गया**

धारा 76(10) (सीजीएसटी अधिनियम, 2017) में यह प्रावधान है कि जहां कोई अधिशेष उप-धारा (9) के तहत समायोजन के बाद बचता है, तो ऐसे अधिशेष की राशि या तो उपभोक्ता कल्याण फंड (धारा 57 में संदर्भित) में क्रेडिट होगी या व्यक्ति जिसने इस तरह की राशि को वहन किया को प्रतिदाय की जाएगी। जीएसटी प्रतिदाय मॉड्यूल के एसआरएस के अनुसार, अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता के मामले में, अस्थायी लॉगिन बनाने के बाद प्रतिदाय आवेदन लिया जाएगा (फ्रंट ऑफिस मॉड्यूल)। धारणा (एएस-11) प्रदान करता है 'अस्थायी लॉगिन बनाने पर अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिदाय आवेदन दाखिल किया जा सकता है'।

हमने देखा की जीएसटी पोर्टल के सर्विस मॉड्यूल में प्रदान की गई कार्यात्मकता के माध्यम से एक अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता अस्थायी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, इस अस्थायी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड (अर्थात अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता के लिए) के साथ प्रतिदाय आवेदन के लिए कार्यात्मकता को प्रतिदाय मॉड्यूल में प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी कार्यात्मकता के अभाव में, एक अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता अपने प्रतिदाय दावे के लिए आवेदन दाखिल करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा

डाटा के सत्यापन पर यह देखा गया था कि 25 मार्च 2020 तक सिर्फ एक मामले में अस्थायी जीएसटीआईएन कर अधिकारी द्वारा अपंजीकृत व्यक्ति को जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा अभियुक्ति के जवाब में, जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता को प्रतिदाय आवेदन की कार्यात्मकता को उच्च प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई थी। हालांकि, प्रतिदाय व्यवसाय प्रक्रिया अब स्थिर हो गई हैं और अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता को प्रतिदाय का दावा करने की अनुमति देने वाली कार्यात्मकता का विकास शुरू किया गया है।

*सिफारिश 7:* जीएसटीएन एक समयबद्ध तरीके से अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता की प्रतिदाय आवेदन की कार्यात्मकता को कार्यान्वित कर सकता है।

### **3.7.3.12 माल के निर्यात पर आईजीएसटी का प्रतिदाय-आईसीईएस आवेदन के साथ एकीकरण**

जीएसटी व्यवस्था में निर्यात शून्य रेटेड है। तात्पर्य यह है कि निर्यातक निर्यात पर चुकाए गए कर (आईजीएसटी) के प्रतिदाय या उनके साथ उपलब्ध आईटीसी का दावा कर सकते हैं। ऐसे दो साधन हैं जिनके साथ ये दोनों प्राप्त किए जाते हैं जिसमें जीएसटी पोर्टल और सीमा शुल्क आईसीईएस के बीच डाटा विनियम शामिल हैं।

#### **आईजीएसटी के भुगतान के साथ माल का निर्यात**

निर्यात के लिए आईजीएसटी प्रतिदाय प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2017 से आईसीईएस में परिचालन में हैं। सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 96 के अनुसार, एक निर्यातक द्वारा दाखिल किए गए शिपिंग बिल को भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर चुकाए गए एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन माना जाता है, जब दोनों एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट (ईजीएम) और फॉर्म जीएसटीआर-3 या फार्म जीएसटीआर-3 बी में वैध विवरणी, जैसा भी मामला हो, दाखिल किए जा चुके हैं। इसके अलावा, जीएसटीआर-1 (तालिका-6ए) की सूचना को आईसीईएस एप्लीकेशन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किया जाता है।

दो डाटा स्रोतों (जीएसटीएन और आईसीईएस) के बीच आवश्यक मिलान बीजक स्तर पर किया जाता है और निर्धारित मापदंडों में कोई भी गलत मिलान त्रुटि/प्रतिक्रिया कोडों के साथ विवरणी होता है। यदि मिलान सफलतापूर्वक होता है तो आईसीईएस प्रतिदाय के लिए दावे की प्रक्रिया करता है और प्रत्येक शिपिंग बिल या निर्यात बिल के संबंध में आईजीएसटी के भुगतान की प्रासंगिक राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमा शुल्क कमिश्नरी द्वारा निर्यातक के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाता है।

### **एलयूटी के तहत माल का निर्यात**

यहां निर्यातक निर्यात करते समय आईजीएसटी का भुगतान नहीं करता है। इसके बजाय वह एलयूटी देता है और आईटीसी प्रतिदाय का दावा करता है। दो डाटा स्रोतों (जीएसटीएन और आईसीईएस) के बीच जरूरी मिलान विभिन्न डाटा क्षेत्रों से अन्य मूल्यों सहित बीजक स्तर पर किया जाता है और निर्धारित मापदंडों का कोई भी गलत मिलान त्रुटि/प्रतिक्रिया कोडों के साथ विवरणी होता है। एलयूटी के तहत निर्यात के लिए इनपुटों या इनपुट सेवाओं पर अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय के मामले में, करदाता ऑनलाइन प्रतिदाय आवेदन (आरएफडी-01/01ए) दाखिल करता है जो जीएसटी कमिश्नरियों द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

### **आईजीएसटी पेड निर्यात बीजकों को आईसीईजीएटीई को प्रेषित करने के लिये मौजूदा प्रणाली**

जीएसटी प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए एक खाता आधारित तंत्र का उपयोग करती है कि निर्यात से संचयी देयताएं (तालिका 6ए), सेज को आपूर्ति (तालिका 6बी), निर्यात बीजक (तालिका 9ए) और क्रेडिट/डेबिट नोटों तालिका 9बी और 9सी के संशोधन के कारण देयता में किसी परिवर्तन को पर्याप्त रूप से तालिका 3.1(बी) शून्य रेटेड जावक कर योग्य आपूर्ति के तहत भुगतान किया जाता है। तालिका 6ए से माल में निर्यात से संबंधित बीजकों को आईसीईजीएटीई को प्रेषित किया जाता है यदि आईजीएसटी को अभी तक भरे गए सभी जीएसटीआर 3बी रिटर्न की तालिका 3.1 (बी) के तहत भुगतान किया जाता है तो अभी तक दायर सभी जीएसटीआर-1 को तालिका 6ए/6बी/9बीसी से उत्पन्न होने वाली संचयी देयता या तो बराबर या उससे



अधिक होती है। वैधीकरण की इस प्रक्रिया के तहत, यह संभव है कि या तो जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-3बी को उसी महीने में नहीं दायर किया है लेकिन चालानों को पिछली अवधि के लिए प्रेषित किया जाता है क्योंकि आईजीएसटी भुगतान और देयता के बीच अन्तर अधिक, या बराबर से शून्य है।

हमने जीएसटी पोर्टल और आईसीईएस के बीच एकीकरण का विश्लेषण किया और निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

### **3.7.3.12.1 जीएसटी पोर्टल और आईसीईएस के बीच सामंजस्य**

निर्यात पर आईजीएसटी के प्रतिदाय के प्रसंस्करण में एपीआई तंत्र के माध्यम से जीएसटी पोर्टल और आईसीईएस के बीच डाटा का प्रसारण करना शामिल है। दो पोर्टलों के बीच एक मजबूत सामंजस्य तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्षित है कि प्रसारण के दौरान डाटा की कोई हानि नहीं हुई है और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छोर से प्राप्त किया गया डाटा पूर्ण एवं सटीक है। एक एपीआई आधारित डाटा विनिमय में, यह बेहतर है कि दो प्रणालियों के बीच की सामंजस्य प्रक्रिया के सहज एकीकरण के लिए सामंजस्य तंत्र भी एपीआई आधारित हो।

हम दोनों एजेसियों के बीच कोई औपचारिक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) दस्तावेज नहीं पा सके, जो स्पष्ट रूप से प्रत्येक दल की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और प्रत्येक पक्ष द्वारा सुनिश्चित किये जाने वाले वैधीकरण को स्पष्टतः निर्दिष्ट करता हो। इसी प्रकार दोनों पोर्टलों के बीच सामंजस्य प्रक्रिया स्थापित करने पर यह सुनिश्चित करने के लिए कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है कि दोनों पोर्टलों के बीच डाटा विनिमय में कोई डाटा अन्तर/हानि या प्रसारण त्रुटियां नहीं हैं।

जीएसटीएन से भी सामंजस्य रिपोर्टों की प्रतियां प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था ताकि हम मौजूदा सामंजस्य तंत्र का सत्यापन कर सकें। जवाब में, जीएसटीएन ने कहा (जुलाई 2020) कि सामंजस्य आईसीईजीएटीई को जीएसटी प्रणाली द्वारा भेजे गए लेन-देनों की गणना पर आधारित है और इसमें वह लेन देन भी शामिल है जो आईसीईजीएटीई मान्य करता है और

जीएसटी प्रणाली को वापस प्रसारित करता है। वर्तमान में एक दैनिक रिपोर्ट, जीएसटी प्रणाली द्वारा उत्पन्न होती है और सभी संबंधित हितधारकों को भेजी जाती है जिसमें आईसीईजीएटीई टीम भी शामिल है। इसी प्रकार, मेटा डाटा पर दोनों टीमों के बीच एक एक्सेल आधारित डाटा तुलना की जाती है। इनमें से किसी भी रिपोर्ट या डाटा तुलना पद्धति का विवरण मांगने के बावजूद भी हमारे साथ साझा नहीं किया गया था। इसलिए, हम यह टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है कि सामंजस्य तंत्र प्रभावी है या यह त्रुटियों से मुक्त है।

जीएसटीएन और डीजीएस से उसी महीने के डाटा सेटों की तुलना करके सामंजस्य तंत्र को स्वतंत्र रूप को सत्यापित करने के लिए हमने दोनों एजेंसियों से एक ही महीने के डाटा अनुरोध किया। यद्यपि, जीएसटीएन ने (जुलाई 2020) डाटा प्रदान किया है, लेकिन हमें डीजीएस से ऐसा विश्लेषण करने के लिए वांछित डाटा सेट प्राप्त नहीं हुआ है और इसके अभाव में, हम सामंजस्य तंत्र को सत्यापित नहीं कर सकते हैं।

जीएसटीएन ने आगे कहा (जुलाई 2020) कि जीएसटी प्रणाली और आईसीईजीएटीई के बीच एपीआई आधारित सामंजस्य के लिए एक सीआर पर काम किया जा रहा है। एकबार जब सीआर लागू होता है, तो दैनिक ट्रांजेक्शन लेवल सामंजस्य एपीआई पर किया जाएगा और यदि कोई अन्तर देखा गया तो प्रासंगिक हितधारको को सतर्क किया जाएगा।

हमने नोट किया कि जीएसटी और आईसीईएस पोर्टलों के बीच एपीआई आधारित डाटा विनिमय अक्टूबर 2017 से काम कर रहा है। हालांकि, डाटा विनिमय के लिए एपीआई आधारित सामंजस्य तंत्र को अभी परिचालन किया जाना है।

**सिफारिश 8: जीएसटीएन और डीजीएस जीएसटी पोर्टल और आईसीईएस प्रणाली के बीच एपीआई आधारित सामंजस्य को जल्द से जल्द कार्यान्वित कर सकते हैं।**

### **3.7.3.12.2 शुल्क वापसी की उच्च दर वाले शिपिंग बिलों को प्रतिबंधित करने के लिए वैधीकरण का परिनियोजन न करना**

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(3)(ii) में यह प्रावधान है कि यदि माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता केन्द्रीय कर पर ड्यूटी ड्राबैक या ऐसी आपूर्तियों पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के प्रतिदाय दावों के संबंध में वापसी की प्राप्ति करते हैं, तो आईटीसी के कोई प्रतिदाय की अनुमति नहीं होगी।

डीजीएस द्वारा साझा किए गए डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि चार सीमा शुल्क बंदरगाहों पर 115 शिपिंग बिलों के प्रति ₹ 1.50 करोड़ की आईजीएसटी प्रतिदाय राशि वितरित की गई थी, जहां वापसी की उच्च दर जुलाई 2017 से फरवरी 2020 की अवधि के दौरान पहले ही अनुमत की गई थी। इसका अर्थ है कि प्रणाली ने प्रतिदाय का दावा करने से शुल्क वापसी की उच्च दर प्रदान करने वाले शिपिंग बिलों को प्रतिबंधित करने के लिए वैधीकरण का परिनियोजन नहीं किया था।

यह मुद्दा दिनांक 18 जून 2020 की लेखापरीक्षा अभियुक्ति के माध्यम से डीजीएस के साथ उठाया गया था, इसके बाद दिनांक 7 जुलाई 2020 को निरीक्षण रिपोर्ट दी गई थी। जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।

*सिफारिश 9:* डीजीएस प्रतिदाय का दावा करने से शुल्क वापसी की उच्च दर प्रदान करने वाले शिपिंग बिलों को प्रतिबंधित करने के लिए आईसीईएस पोर्टल में वैधीकरण का परिनियोजन कर सकते हैं।

### **3.7.3.12.3 प्रणाली वैधीकरण के अभाव के कारण आईजीएसटी प्रतिदाय राशि की अधिकता**

दिनांक 15 मार्च 2018 के परिपत्र संख्या 37/11/2018 जीएसटी के पैरा 9.1 के अनुसार, प्रतिदाय दावा के प्रसंस्करण के दौरान, जीएसटी बीजक में घोषित किए गए माल का मूल्य और इसी शिपिंग बिल/निर्यात बिल में मूल्य की जांच की जानी चाहिए और दो मूल्यों में से निम्न को प्रतिदाय के तौर पर स्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रतिदाय मॉड्यूल के एसआरएस के पैरा 9.2.6 के व्यवसायक नियम 6(1) में यह भी प्रावधान है कि प्रतिपूर्ति की जाने वाली प्रतिदाय राशि निम्नलिखित दो मूल्यों में से निम्न होगी:

- (i) सीमाशुल्क पर दायर शिपिंग बिल में रिपोर्ट किए गए आईजीएसटी मूल्य और
- (ii) जीएसटी पोर्टल में दायर जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किए गए आईजीएसटी मूल्य

डीजीएस द्वारा जुलाई 2017 से फरवरी 2020 की अवधि के लिए प्रदान किए गए अखिल भारतीय डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि प्रणाली ने 67 शिपिंग बिलों में जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किए गए आईजीएसटी और सीमा शुल्क पर शिपिंग बिलों में रिपोर्ट की गई आईजीएसटी से आईजीएसटी के उच्च मूल्य के संवितरण की अनुमति दी। इस प्रकार, प्रणाली में वैधीकरण के अभाव में ₹ 1.55 करोड़ के बजाय ₹ 2.28 करोड़ के संवितरण की अनुमति दी गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 72.49 लाख का आईजीएसटी का अधिक प्रतिदाय हुआ जो उपर्युक्त मापदंडों का उल्लंघन था। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीमा शुल्क और जीएसटीआर-1 पर शिपिंग बिल में रिपोर्ट की गई आईजीएसटी के बीच उच्च मूल्य के संवितरण के प्रतिबंधित करने के लिए कार्यात्मकता को विकसित/परिनियोजित नहीं किया गया है।

यह मुद्दा दिनांक 18 जून 2020 की लेखापरीक्षा अभियुक्ति के माध्यम से डीजीएस के साथ उठाया गया था, इसके बाद दिनांक 7 जुलाई 2020 को एक निरीक्षण रिपोर्ट दी गई। जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।

*सिफारिश 10:* डीजीएस जीएसटीआर-1 और सीमा शुल्क पर शिपिंग बिल में रिपोर्ट की गई आईजीएसटी के बीच निम्न मूल्य में संवितरण को प्रतिबंधित करने के लिए कार्यात्मकता को आईसीईएस पोर्टल में परिनियोजित कर सकता है।

### 3.8 विवरणी मॉड्यूल

#### 3.8.1 विवरणी मॉड्यूल के बारे में

जीएसटी में, करदाताओं को सभी करों अर्थात् सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के लिए सामान विवरणी फाइल करना होता है। विवरणी तंत्र की मूल विशेषताओं में, विवरणी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, बीजक स्तरीय जानकारी को अपलोड करना, आपूर्तिकर्ता के रिटर्न से

आईटीसी से संबंधित जानकारी को ऑटो-पोपुलेशन जैसा की प्राप्तकर्ता को, बीजक स्तरीय जानकारी का मिलान और बे-मेल के मामले में आईटीसी का ऑटो-रिवर्सल की परिकल्पना की गई थी। जीएसटी नियमावली के अनुसार, एक करदाता द्वारा आईटीसी का दावा तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आपूर्तिकर्ता द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जाए। यह विवरणी जीएसटीआर-1 (जावक आपूर्ति का विवरण) और जीएसटीआर-2 (आपूर्ति का विवरण) की फाइलिंग के माध्यम से “आपूर्तिकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं” के बीजकों के मिलान के लिए प्रावधानों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है, और ऐसे भी कि करदाताओं द्वारा भरे गए जीएसटीआर-1 एवं 2 पर आधारित मासिक विवरणी जीएसटीआर-3 निवल कर देयता की गणना के आधार पर कर का भुगतान ब्याज और विलंब फीस, यदि कोई हो, के साथ जीएसटीआर-3 में भुगतान किए गए कर के विवरणों को जोड़ने से सुनिश्चित होता है।

हालांकि, जीएसटी लागू होने के शुरुआती चरणों से हो, जीएसटीआर-2 एवं जीएसटीआर-3 रिटर्नों की फाइलिंग को स्थागित रखा गया है और करदाताओं को बिना किसी ऐसे प्रति-सत्यापन के जीएसटीआर-3बी विवरणी में आईटीसी दावे की अनुमति दी गई है। जीएसटीआर-3बी के तहत स्व-निर्धारण के आधार पर करदाता द्वारा आईटीसी का दावा किया जाता है। अतः वैधीकरण के अभाव में, कि आपूर्तिकर्ता द्वारा कर के भुगतान के बाद एक करदाता द्वारा आईटीसी का दावा किया जा रहा है, आईटीसी दावों की सत्यता का सत्यापन करना संभव नहीं है। इसका गंभीर निहितार्थ है क्योंकि करदाता अत्यधिक आईटीसी का दावा कर सकता है। हालांकि, हाल ही में, जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी के दावे को सीमित करके इस मुद्दे को हल करने के प्रयास किए गए जो जीएसटीआर-1 में दाखिल किए गए आपूर्तिकर्ताओं के जावक आपूर्ति विवरणों से बनाया गया है।

इसके अलावा, 31वीं जीएसटी परिषद बैठक (दिसंबर 2018) में, यह निर्णय लिया गया था कि जीएसटी के तहत करदाताओं के लिए जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी के स्थान पर एक नई विवरणी प्रणाली शुरू होगी। कार्यान्वयन की प्रस्तावित तिथि में अनेक परिवर्तनों के बाद, अक्टूबर 2020 से लाना प्रस्ताविक हुए। नये विवरणी फॉर्म एक एकल, सरल और संक्षिप्त विवरणी

फॉर्म की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए थे जो वर्तमान में करदाताओं द्वारा दायर किए जा रहे जटिल प्रकृति के कई विवरणी फॉर्मों की जगह लेंगे। जीएसटी परिषद ने अपनी 42वीं बैठक (अक्टूबर 2020) में, प्रस्तावित नई विवरणी प्रणाली को एक बार में लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इसने वर्तमान परिचित जीएसटीआर-1/3 बी योजना में नई विवरणी प्रणाली की विशेषताओं को संवर्तित रूप से शामिल करने का निर्णय लिया है। नई प्रणाली करदाताओं को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता में सभी स्रोतों अर्थात् घरेलू आपूर्तियां, आयातों और रिवर्स प्रभार पर भुगतान आदि से उपलब्ध आईटीसी देखने देगी। कर के भुगतान के लिए नियत तिथि से पहले, और करदाता एवं उसके सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए डाटा के माध्यम से विवरणी (जीएसटीआर-3बी) को ऑटो-पोपुलेट करने के लिए प्रणाली सक्षम होगी। नए प्रावधानों को मासिक दायरकर्ता के लिए 1 जनवरी 2021 से और तिमाही दायरकर्ता के लिए 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी करने का प्रावधान होगा। वर्तमान जीएसटीआर-1/3बी की फाइलिंग प्रणाली को 31 मार्च 2021 तक विस्तारित किया गया है और जीएसटीआर-1/3बी प्रणाली को डिफॉल्ट विवरणी फाइलिंग प्रणाली बनाने के लिए जीएसटी कानूनों में संशोधन किया जाएगा।

### **3.8.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य**

विवरणी मॉड्यूल का आईटी लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि क्या इसे संशोधित किये गए जीएसटी अधिनियम/नियामावली अधिसूचनाओं के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप रोल ऑऊट किया गया था एवं विवरणी मॉड्यूल के अधूरे रॉल ऑऊट करने के कारण जीएसटी इको-प्रणाली में जोखिमों की पहचान करने के लिए किया गया था।

### **3.8.3 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां**

#### **3.8.3.1 विवरणी मॉड्यूल पर निष्कर्षों का विहंगावलोकन**

हमने वैधीकरणों की कमी के परिणामस्वरूप जीएसटीआर-1,3बी और 4 के अन्तरालों/फाइलिंग न करने, जीएसटीआर-3बी में करदाताओं की ब्याज देयता की स्व-गणना की कमी और एसआरएस की नियमावली की गलत मैपिंग देखी। दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने पर एक पैरा के अलावा जीएसटीएन को विवरणी

मॉड्यूल से संबंधित दस लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की गई थीं। इनमें से, 6 को जीएसटीएन द्वारा स्वीकार किया गया और 2 को स्वीकार नहीं किया गया था। शेष दो अभ्युक्तियां में, जीएसटीएन ने सूचित किया कि यह मुद्दा नीति से संबंधित हैं और इसलिए, आगे स्पष्टीकरण के लिए सरकार के साथ इसे उठाया जाएगा।

### **3.8.3.2 लेखापरीक्षा के लिए जानकारी को प्रस्तुत न करना**

प्रथम लेखापरीक्षा उद्देश्य पर आश्वासन के लिए अर्थात् क्या विवरणी मॉड्यूल को मौजूदा कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित किया गया था, हमने जानकारी प्राप्त करने वाली 93 डाटा क्वेरी (दिसंबर 2019 में) जीएसटीएन को क्रियान्वयन के लिये दी। अभी (दिसंबर 2020) तक, केवल 68 डाटा क्वेरी का आउटपुट प्रदान किया गया है, और 25 क्वेरी जीएसटीएन के पास समाधान करने के लिए सात महीनों का पर्याप्त समय होने के बावजूद आउटपुट के लिए अभी भी लंबित है।

जीएसटी इको-प्रणाली में जोखिमों की पहचान करने के द्वितीय लेखापरीक्षा उद्देश्य के संबंध में, हमने जीएसटीएन को 73 डाटा क्वेरी जारी की थीं। जीएसटीएन ने जवाब दिया कि क्वेरी आईटी प्रणाली में नियंत्रण की जांच/वैधीकरण से संबंधित नहीं थी और इसलिए ये आईटी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है। जीएसटीएन ने आगे कहा कि वह संबंधित केंद्रीय/राज्य कर प्रशासनों की ओर से व्यक्तिगत करदाताओं के डाटा को न्यासी क्षमता में धारण किए हुए हैं, और इसलिए डाटा प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। चूंकि जीएसटीएन ने अपेक्षित जानकारी प्रदान नहीं की, इसलिए हम विवरणी मॉड्यूल के अपूर्ण रॉल-आउट के कारण प्रणाली में विद्यमान जोखिमों और कमजोरियों पर आश्वासन प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।

जीएसटीएन ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि वह जल्द ही प्रथम उद्देश्य से संबंधित लंबित डाटा क्वेरी का जवाब प्रदान करेगा। विवरणी मॉड्यूल में जोखिमों का निर्धारण करने के लिए डाटा के प्रस्तुत न करने के लिए जीएसटीएन के कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीएजी को खुद को संतुष्ट करने का अधिकार है कि निर्धारण, संग्रह और राजस्व के उचित आवंटन पर एक प्रभावी जांच प्रणाली को डिजाइन में शामिल किया गया है (सीएजी के कर्तव्यों,

शक्तियां और सेवा की शर्तें (डीपीसी) अधिनियम की धारा 16) इसे करने के लिए, लेखापरीक्षा में, वैधीकरण विफलताओं की जांच करना आवश्यक था, केवल वैधयताओं की विफलता हेतु ही नहीं बल्कि इस तरह की कमजोरियों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए भी। इसलिए, डाटा सारांश का विश्लेषण, मूल रूप से बीजक-मिलान जैसे प्रावधानों की परिकल्पना के बिना जीएसटी इको प्रणाली को डिजाइन करने के संभावित प्रभाव का निर्धारण करने के लिए, अत्यंत महत्व का था।

### **3.8.3.3 जीएसटीआर-2ए के गलत सृजन के कारण आईटीसी की अनियमित उपलब्धता**

सीजीएसटी अधिनियम 2017 (जैसे संशोधित) के प्रावधानों<sup>36</sup> और समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं<sup>37</sup> के अनुसार, आईटीसी का उपयोग केवल प्राप्तकर्ता करदाता द्वारा किया जाता है, और केवल कर की उस राशि के भुगतान के लिये जो कि जीएसटीआर-2ए (आवक आपूर्तियों का विवरण) में दिखाया गया है तथा उसके अधिकतम 10 प्रतिशत। इसके अलावा, जीएसटीआर-1 में सूचना अपलोड करने के बाद, बीजक में संशोधन करने का प्रावधान<sup>38</sup> था।

फॉर्मों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि जब प्राप्तकर्ता के जीएसटीएन को बदलकर बीजक में संशोधन किया गया था, तो दोनो प्राप्तकर्ता अर्थात मूल रूप से उल्लिखित प्राप्तकर्ता, के साथ-साथ संशोधित प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-2ए में बीजक की राशि दिख रही थी। इसके अलावा, बीजक के संशोधन के लिए मूल प्राप्तकर्ता को कोई फ्लैग नहीं दिखाया गया था। इसलिए, आईटीसी को कर के भुगतान के उपयोग के लिए दोनों प्राप्तकर्ताओं के लिए उपलब्ध दिखाया गया था। इसी प्रकार, जब केवल बीजक की राशि को संशोधित किया गया था लेकिन प्राप्तकर्ता वहीं था, यह देखा गया था कि प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-2ए में इसी राशि के साथ मूल और संशोधित दोनो बीजक होते हैं।

<sup>36</sup> सीजीएसटी अधिनियम की धारा 39 और धारा 43 ए के साथ पठित धारा 16 (2)

<sup>37</sup> दिनांक 09-10-2019 की अधिसूचना संख्या 49/2019-सी.टी, दिनांक 26 दिसंबर 2019 की अधिसूचना सं. 75/2019 द्वारा संशोधित।

<sup>38</sup> अधिसूचना 49/2019 और दिनांक: 11/11/2019 के सीबीआईसी परिपत्र संख्या 123/42/2019-जीएसटी साथ पठित सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 36 की शर्तों में



इसी प्रकार, जब एक करदाता ने आगामी कर अवधि में अपने जीएसटीआर-1 में अपनी बीजक विवरणों को संशोधित किया, तो मूल विवरणी भरने के बाद संबंधित प्राप्तकर्ताओं को जीएसटीआर-2ए में संबंधित विवरण सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं हुआ था।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2020), जीएसटीएन ने जोर दिया (जून, जुलाई 2020) कि जीएसटीआर-1/2/3 के अभाव के कारण जीएसटीआर-2ए के निर्माण में समस्याएं आई थी। यह आगे कहा गया है कि जीएसटीआर-2ए को सूचनाओं को एक बकेट के रूप में डिजाइन किया गया था, जो केवल को देखने के उद्देश्यों के लिए, करदाताओं की आवक आपूर्तियों से संबंधित है, चूंकि जीएसटीआर-2 और 3 को स्थागित रखा गया था, और जीएसटीआर-2ए न केवल जीएसटीआर-1 से दायर विवरणों को दर्शाता है बल्कि कुल विवरणों को भी जिन्हे प्रस्तुत किया गया था पर दायर नहीं किया था। यह आगे कहता है कि आईटीसी को केवल स्व-निर्धारण आधार पर दावा किया जाना था और उपलब्ध आईटीसी की राशि को उस राशि के साथ जिन्हें वे अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दावा (जीएसटीआर-3बी में) कर रहे हैं, करदाताओं (जीएसटीआर-2ए में) को पहले ही दर्शाया गया है।

जीएसटीएन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटीआर-2 के अभाव में, जीएसटीआर-2ए आवक आपूर्ति पर सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। करदाताओं, के साथ-साथ कर अधिकारी भी उनके दावों और प्रतिदायों को जारी करने के संदर्भ रिकॉर्ड के रूप में मुख्य रूप से जीएसटीआर-2ए पर भरोसा करते हैं। इस प्रकार, जीएसटीआर-2ए की सत्यता सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, अधिनियम एक ही बीजक पर दो व्यक्तियों द्वारा और एक ही बीजक पर दो बार आईटीसी लेने से प्रतिबंधित करता है। इस संबंध में वैधीकरण के अभाव में फर्जी प्रथाओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जीएसटीएन वास्तव में दोषपूर्ण जीएसटीआर-2ए के परिणामों से अवगत था और उसमें खामियों को दूर करने के लिए सीआर बनाया (अक्टूबर 2018) था। हालांकि सीआर को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

इस प्रकार, जीएसटीएन द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब से और सीआर जो कार्यान्वित नहीं किया गया था, यह स्पष्ट हुआ था कि संशोधित बीजक पर गलत आईटीसी की उपलब्धता को दर्शाने से प्रणाली को रोकने के लिए प्रणाली में अपेक्षित परिवर्तनों को लागू नहीं किया था। लेखापरीक्षा के साथ एग्जिट बैठक (जुलाई 2020) में, जीएसटीएन ने कहा कि दाखिल करने की स्थिति, संशोधन की स्थिति आदि सहित अतिरिक्त सुविधाएं सरकार के अनुमोदन के साथ जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध कराई जाएगी।

**सिफारिश 11:** चूंकि कर अधिकारियों और करदाताओं को जीएसटीआर-2ए पर भरोसा है, इसलिए जीएसटीएन प्रणाली को अंतर्निहित बीजक डाटा के साथ अद्यतन रखने के लिए जीएसटीआर-2ए के कार्यान्वयन में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं ताकि यह सही तस्वीर को प्रतिबिंब कर सके।

#### **3.8.3.4 टर्नओवर पर वैधीकरण के अभाव में, प्रारंभिक सीमा को पार करने के बाद भी जीएसटीआर-4 को दाखिल करने के संबंध में, कंपोजिशन करदाताओं पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं**

सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 6 में कंपोजिशन उद्ग्रहण की वैधता के लिए प्रावधान हैं। यह निर्धारित करता है कि जब व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो धारा 10 में उल्लिखित किसी भी शर्त को पूरा करने से बाधित हो जाता है, उसे उसके बाद की गई प्रत्येक कर योग्य आपूर्ति के लिए कर बीजकों को जारी करना चाहिए, और इस तरह की घटना होने के सात दिनों के अंदर फॉर्म जीएसटी सीएमपी-04 में योजना से आहरण के लिए एक सूचना दाखिल करनी चाहिए। इसके अलावा, जीएसटीआर-4 के एसआरएस<sup>39</sup> के अनुसार, विवरणी दाखिल करने के बाद, प्रणाली को पैन स्तर के आधार पर सकल टर्नओवर की जांच करनी चाहिए। यदि टर्नओवर निर्धारित सीमा<sup>40</sup> से अधिक है, तो डैशबोर्ड के अधिसूचना अनुभाग में करदाता के लिए एक चेतावनी भेजी जा सकती है।

<sup>39</sup> एसआरएस- बीआर\_एसआरएस\_आरईटी\_004\_16

<sup>40</sup> शुरुआती सीमा 40 लाख थी, बाद में प्रारंभिक टर्नओवर को दिनांक 03/07/2019 की अधिसूचना संख्या 14/2019 के अनुसार, ₹ 1.5 करोड़ में परिवर्तित कर दिया।

वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-4 को दाखिल करने से संबंधित नमूना-जांचों के दौरान हमने देखा (नमूना परिवेश में) कि करदाता को कोई चेतावनी नहीं भेजी गई थी, जब आपूर्ति का कुल मूल्य किसी भी एकल विवरणी में ₹ 1.5 करोड़ की प्रारंभिक सीमा से अधिक था। इस प्रणाली ने उसी करदाता को 2017-18 की अगली तिमाही के लिए विवरणी दाखिल करने की अनुमति दी, बावजूद इसके कि उनका टर्नओवर पिछली तिमाही में निर्धारित कट-ऑफ सीमा से अधिक था। यह जीएसटी के प्रावधानों और उपर वर्णित एसआरएस का उल्लंघन था।

यह उजागर होने पर (जनवरी 2020) जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि कंपोजिशन योजना की प्रारंभिक सीमा में निरन्तर बदलावों के कारण कार्यात्मकता को कार्यान्वित नहीं किया जा सका, साथ ही विवरणी दाखिल करने की आवृत्ति को 'वार्षिक' में परिवर्तित किए जाने के कारण यह भी कहा कि यह ऐसे परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए सॉफ्टवेयर के विकास चक्र के लिए कठिन हो जाता है। आगे कहा कि एक आईटी कार्यात्मकता के विकास के लिए 'आवश्यक' और 'हो तो अच्छा' विशेषताओं में कार्यात्मकताओं की बकेटिंग अपेक्षित हैं और 'आवश्यक होना' कार्यात्मकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जीएसटीएन का जवाब स्वीकार्य नहीं है चूंकि वार्षिक टर्नओवर, करदाता की श्रेणी पर निर्णय करने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड बनाता है। वैसे तो, कंपोजिशन योजना के तहत करदाता के लिए टर्नओवर 'हो तो अच्छा' के बजाय 'आवश्यक' होना मापदंड के तहत आना चाहिए। इसके अलावा, जीएसटीएन ने 'आवश्यक' होना बकेट में वार्षिक टर्नओवर को श्रेणीकृत नहीं करने के संबंध में लिए गए निर्णय से संबंधित रिकॉर्डों को प्रस्तुत नहीं किया। बाद में, जीएसटीएन ने कहा (जुलाई 2020) कि टर्नओवर, सीमा की जांच करने के लिए कार्यात्मकता और प्रारंभिक सीमा को पार करने पर ऐसे करदाताओं को भेजी जा रही चेतावनी को अगस्त 2020 की समाप्ति तक सीएमपी-08 (तिमाही विवरणी) (पूर्व में जीएसटीआर-4) के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

**सिफारिश 12:** जीएसटीएन, जीएसटीआर-4 दाखिल करने के समय पर पैन स्तरीय टर्नओवर की जांच करने के लिए प्रणाली में उचित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है, कि पात्र करदाताओं को जीएसटीआर-4 को दाखिल करने के लिए अनुमति मिले।

**3.8.3.5 प्रणाली में प्रावधानों के अभाव के कारण अनिवासी करयोग्य व्यक्ति (एनआरटीपी) द्वारा रिवर्स प्रभार तंत्र (आरसीएम) के आधार पर कर का भुगतान न करना**

धारा 2(98) के अनुसार 'रिवर्स प्रभार' का अर्थ है आईजीएसटी अधिनियम की धारा 9 और धारा 5 के तहत ऐसे माल या सेवा या दोनों की आपूर्तिकर्ता के बजाय माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर भुगतान की देयता। इसके अलावा, दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017 केन्द्रीय कर (दर) में सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों जिसमें संपूर्ण कर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 तहत उदग्रहय है, को निर्दिष्ट करता है, और ऐसी सेवा/(ओ) के प्राप्तिकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर भुगतान करने की आवश्यकता है, जिसके अनुसार माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) या कानूनी सेवा प्रदाता ऐसी श्रेणी के तहत आते हैं।

नमूना जांचों के दौरान, यह देखा गया था कि जीएसटीआर-5 में, जैसा कि नियम 63 में प्रावधान किया गया है, रिवर्स चार्ज के आधार पर कर भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं है, यदि एक एनआरटीपी ने उन सेवाओं का लाभ उठाया है, जिसमें केवल रिवर्स चार्ज के आधार पर भुगतान योग्य कर को आकर्षित किया है। जीएसटीएन से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी कि क्या रिवर्स चार्ज तंत्र पर कर का भुगतान जैसा कि ऐसी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए एनआरटीपी के लिए लागू होता है, प्रणाली में उपलब्ध है या नहीं; और क्या जीएसटीआर-1 दाखिल करते समय जीटीए या कानूनी सेवा प्रदाताओं आदि को रिवर्स चार्ज आधार पर भुगतान योग्य जावक आपूर्तियां (तालिका-4बी) घोषित करने की अनुमति एनआरटीपी को दी गई है या नहीं। जवाब में, जीएसटीएन ने कहा कि अधिसूचित फॉर्म जीएसटीआर-5 में ऐसे कोई प्रावधान अधिसूचित नहीं है, तथा जीएसटीआर-1 की तालिका-4बी (रिवर्स चार्ज के आधार पर आकर्षित कर रही आपूर्तियां) में प्रणाली एनआरटीपी के

जीएसटीआईएन को स्वीकार नहीं करती है। इसका अर्थ है कि रिवर्स चार्ज आधार पर प्राप्त की गई सेवाओं के लिए जीएसटी भुगतान का एक एनआरटीपी के लिए प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं है और न ही एनआरटीपी की ओर से सेवा प्रदाताओं को फॉरवर्ड चार्ज के रूप में जीएसटी का भुगतान करने का कोई प्रावधान है। फॉर्म जीएसटीआर-5 में इस कमी से मौजूदा प्रणाली के तहत राजस्व के नुकसान का जोखिम है, जैसे की अभी की में जीएसटी की देनदारी न तो एनआरटीपी के साथ है न ही सेवा प्रदाता के साथ।

यह उजागर होने पर, जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि रिवर्स चार्ज को आकर्षित कर रही आपूर्तियों का पता लगाने के लिए जीएसटीआर-5 में कोई तालिका नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रणाली को अधिसूचित फॉर्म के अनुसार डिजाइन किया गया है, आईटी प्रक्रिया और कानून के बीच कोई अंतराल नहीं है और सुझाव दिया कि सरकार के संबंधित विभाग से टिप्पणियां प्राप्त की जा सकती हैं।

जीएसटीएन का जवाब कि आईटी प्रक्रिया और कानून के बीच कोई अंतराल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, चूंकि अधिनियम के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को फॉर्म जीएसटीआर-5 में मैप नहीं किया गया है और प्रणाली में इस श्रेणी में संव्यवहारों के लिए सरकार को राजस्व हानि के साथ कर का भुगतान न करने के जोखिम को वहन करता है। बाद में, जीएसटीएन ने कहा (जुलाई 2020) कि इस लेखापरीक्षा अभियुक्ति को उचित कार्रवाई के लिए सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

*सिफारिश 13:* डीओआर जीएसटीआर-5 में जरूरी परिवर्तन कर सकता है और परिणामस्वरूप आईटी प्रणाली में जो एनआरटीपी को आरसीएम आधार पर उनकी कर देयता का निर्वहन करने के लिए सक्षम बनाता है उन आपूर्तियों के संबंध में जिनमें केवल आरसीएम के आधार पर कर के भुगतान की आवश्यकता होती है।

### **3.8.3.6 एसआरएस को नियम से गलत मैपिंग ने प्रासंगिक करदाताओं द्वारा जीएसटीआर 1-में एचएसएन<sup>41</sup> विवरणों को घोषित करने के मापदंड को कमजोर किया**

जावक आपूर्ति के विवरण को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 37 के साथ पठित सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 59(1) के अनुसार फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रासंगिक करदाताओं द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, उक्त विवरणी को दायर करने के लिए निर्देशों (जीएसटीआर-1 की क्रम.सं. 17) के अनुसार यह एचएसएन कोड रिपोर्ट करना अनिवार्य है: (i) 2 अंक स्तर पर, पूर्ववर्ती वर्ष में करदाता जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹ 1.50 करोड़ से ऊपर लेकिन, ₹ 5.00 करोड़ तक है और (ii) 4-अंक स्तर पर, पूर्ववर्ती वर्ष में करदाता जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹ 5.00 करोड़ से अधिक है। कर बीजक में एचएसएन विवरण प्रदान करने के लिए एक ऐसा ही प्रावधान दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017 केन्द्रीय कर द्वारा अधिसूचित किया गया था।

नमूना जांच के दौरान, हमने देखा कि प्रणाली ने एक निर्दिष्ट टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए यह अनिवार्य नहीं किया है कि वे संबंधित एचएसएन विवरणों को भरें। इसके लिए लेखापरीक्षा प्रश्न के जवाब में, कि प्रणाली, उपर्युक्त उल्लिखित नियम के अनुपालन के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक टर्नओवर का जांच करती है या नहीं, जीएसटीएन ने कहा कि इस समय टर्नओवर की जांच की आवश्यकता नहीं है। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जीएसटीआर-1 की तालिका-12 में एचएसएन विवरण भरने की बाध्यता पिछले वर्ष के टर्नओवर पर निर्भर है। इस प्रकार, प्रणाली में पर्याप्त वैधीकरण का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उचित एचएसएन विवरणों को न भरने का जोखिम है, जो उन करदाताओं के लिए अनिवार्य है जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक टर्नओवर ₹ 1.50 करोड़ से ऊपर था।

इस पर प्रकाश डाले जाने पर (जून 2020), जीएसटीएन ने कहा कि टर्नओवर आधारित एचएसएन जांच का कार्यान्वयन मुश्किल है और संभव नहीं हो

---

<sup>41</sup> एचएसएन कोड का अर्थ है-हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेक्लचर' इस प्रणाली को पूरी दुनिया में माल के व्यवस्थित वर्गीकरण के लिए शुरू किया गया है। एचएसएन कोड 8 अंकों का एकसमान कोड है जो 5000+उत्पादों को वर्गीकृत करता है और दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है।

सकता क्योंकि टर्नओवर गतिशील है और विभिन्न संशोधनों के कारण अगले वित्तीय वर्ष के सितम्बर विवरणी तक पिछली वर्ष की समाप्ति के बाद भी बदल सकता है। इसके अलावा, एचएसएन घोषणा पर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू नहीं किया गया है क्योंकि करदाताओं की बहुसंख्या राज्य वैट से प्रवासित हुई है, और एचएसएन से परिचित नहीं है। जीएसटीएन ने बाद में कहा (जुलाई 2020) कि एचएसएन कोड वैधीकरण सरकार की अनुमति के साथ विकसित और कार्यान्वित किया जाएगा।

अधिनियम/नियम/अधिसूचना के प्रावधानों के प्रकाश में जिसमें कहा गया है कि एचएसएन विवरण अनिवार्य है जीएसटीएन का पहले वाला जवाब तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा, भले ही प्रणाली में एचएसएन भरने लगाने का प्रावधान हो, लेकिन यह संबंधित करदाताओं के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। फिर से, जैसा कि करदाता से उस विवरणी को भरते समय अपने टर्नओवर को निर्धारित करने की उम्मीद है, यह माना जाता है कि प्रणाली भी ऐसा करने में सक्षम होगी। इसके अलावा, न तो टर्नओवर की गतिशील प्रकृति, न ही करदाताओं द्वारा प्रावधान की अनदेखी, कानून के प्रावधान को कार्यान्वित नहीं करने के लिए एक वैध आधार है।

*सिफारिश 14:* जीएसटीएन, प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वैधीकरण को शामिल कर सकता है, जो यह बताते हैं कि उनके पिछले वर्ष के टर्नओवर के आधार पर, निर्दिष्ट करदाताओं के लिए एचएसएन की जानकारी देना अनिवार्य है।

### **3.8.3.7 प्रणाली के माध्यम से वास्तविक ब्याज देयता की गणना न करना और उसके भुगतान को लागू न करना**

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 50(1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप कर भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन निर्धारित अवधि में सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में असफल होता है, उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसके किसी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, अपने स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो अठारह प्रतिशत से

अधिक नहीं होगी, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

विवरणी माँड्यूल की आईटी लेखापरीक्षा के दौरान जीएसटीएन से एक स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या जीएसटीआर-3बी में 'ब्याज' की स्व गणना की जाती है और क्या जीएसटीआर-3बी को 'ब्याज' के भुगतान के बिना, केवल कर भुगतान द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, भले ही ब्याज दायित्व हो। जवाब में जीएसटीएन ने कहा कि ब्याज देयता की जीएसटीआर-3बी में स्व-गणना नहीं है और ब्याज का भुगतान स्व-घोषणा के आधार पर होता है। इस प्रकार, प्रणाली करदाता को ब्याज देयता का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करता है, जिससे ब्याज देयता की गलत गणना साथ ही ब्याज का कम/भुगतान ही नहीं होने का जोखिम बना रहता है।

इस पर प्रकाश डाले जाने पर (जून 2020) जीएसटीएन ने कहा कि जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी विवरणीस आदि की फाइलिंग करने की आवृत्ति में अंतर के कारण, साथ ही विभिन्न शर्तों एवं निहितार्थों के कारण, जीएसटीआर-3बी में ब्याज की स्व- गणना को कार्यान्वित करना मुश्किल है। जीएसटीएन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ब्याज की स्व-गणना मूल रूप से जीएसटीआर-1 के एसआरएस के अनुसार परिकल्पित की गई थी, लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि जीएसटीआर-1 की फाइलिंग को अनुक्रमिक नहीं बनाया गया और जीएसटीआर-3बी के साथ जोड़ा नहीं गया था। जीएसटीएन ने यह भी कहा कि विधि समिति ने, दिनांक 20 अप्रैल 2018 की अपनी बैठक में, कहा कि जीएसटीआर-3बी का मौजूदा डिजाइन ब्याज की स्व-गणना की अनुमति नहीं देता है। बाद में, जीएसटीएन ने सूचित (जुलाई 2020) किया कि एक बार जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी जुड़ जाते हैं तो ब्याज की स्व-गणना का प्रयास किया जाएगा।

*सिफारिश 15:* जीएसटीएन ब्याज की स्व-गणना के लिए प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है और करदाताओं द्वारा वास्तविक ब्याज देयता के भुगतान करने को बाध्य कर सकता है।



### टीआरएएन-1 और टीआरएएन-2 डाटा के आधार पर प्रणाली में देखी गई कमियां

लेखापरीक्षा के दौरान, विरासत संपदा आईटीसी को जीएसटी व्यवस्था में आगे ले जाने वाले प्रावधानों से संबंधित वैधीकरण की जांच के लिए अपवाद डाटा क्वेरीज़ को जारी किया गया था। हालांकि, जीएसटीएन के अनुरोध पर, हमने जीएसटीएन द्वारा साझा की गई 100 जीएसटीआईएन की सूची में से 10 जीएसटीआईएन के एक नमूने के लिए पूर्ण ट्रांजिशनल क्रेडिट डाटा मांगा। इसके अलावा, अन्य 10 जीएसटीआईएन से संबंधित डाटा को विस्तृत सत्यापन के लिए मांगा गया था। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित हैं:

#### 3.8.3.8 अयोग्य करदाता को टीआरएएन-2 के तहत लाभ लेने की अनुमति

सीजीएसटी नियम 117(4)(ए)(i), सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 की उप-धारा(3) के अनुसार फॉर्म टीआरएएन-2 को एक विक्रेता/व्यापारी (लेकिन एक विनिर्माता या सेवा प्रदाता नहीं) के द्वारा भरा किया जा सकता है, जो जीएसटी व्यवस्था में पंजीकृत है, लेकिन पूर्व जीएसटी व्यवस्था के तहत अपंजीकृत थे। ऐसा विक्रेता, जिसके पास 30 जून 2017 को उसके द्वारा धारित भण्डार के लिए वैट या उत्पाद शुल्क बीजक नहीं है, उसके द्वारा धारित भण्डार के कर क्रेडिट का दावा करने के लिए टीआरएएन-2 फॉर्म का उपयोग कर सकता है। टीआरएएन-2 को प्रत्येक महीने की समाप्ति पर एक विक्रेता या व्यापारी द्वारा आईटीसी का दावा करने के लिए विवरणों के साथ भरा जाना होता है, जब भण्डार बिक जाता है।

लेखापरीक्षा के साथ साझा किए गए डाटा के विश्लेषण से पता चला कि सभी बीस करदाता माइग्रेटेड करदाता थे, जो पूर्व जीएसटी व्यवस्था में या तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर या राज्य वैट में पंजीकृत थे, और इस प्रकार टीआरएएन-2 के तहत लाभ लेने के लिए अयोग्य थे। इसके अलावा, इन 20 करदाताओं में से 10 ने अनेक पंजीकरण किए हुए थे। यह पाया गया था कि 17 करदाताओं ने ₹ 51.77 करोड़ के कुल कर मूल्य के साथ फॉर्म टीआरएएन-1 की भाग 7बी की तालिका 7(ए)<sup>42</sup> और तालिका 7(डी)<sup>43</sup> में मर्दे

<sup>42</sup> तालिका 7 (क) तालिका 5 (क) (धारा 140 (3), 140 (4) (ख), 140 (6) और 140 (7) के तहत क्रेडिट दावों को छोड़कर क्रेडिट के रूप में इनपुट दावों पर शुल्क और करों की राशि से संबंधित है और भाग 7 बी उन मामलों से संबंधित है जहां शुल्क का भुगतान किए गए बीजक उपलब्ध नहीं है (केवल विनिर्माता या सेवा प्रदाता के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए लागू)।

घोषित की और बाद में, धारित भण्डार पर आईटीसी को आगे ले जाने के लिए फॉर्म टीआरएएन-2 में लाभ ले लिया, जहां शुल्क के भुगतान का सबूत उपलब्ध नहीं था। इन करदाताओं ने 1571 संव्यवहारों के तहत ₹ 1.51 करोड़ के मूल्य के ऐसे मदों पर आईटीसी का लाभ लिया और उसे उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता आईटीसीएलडीजी में क्रेडिट किया गया था।

यह ऊपर उल्लिखित सीजीएसटी अधिनियम और नियमावली 2017 के प्रावधान का उल्लंघन करता है। जीएसटीएन का जवाब प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020) है।

### **3.8.3.9 टीआरएएन-2 में अयोग्य मदों के संबंध में आईटीसी का लाभ लिया**

सीजीएसटी नियम 117 (4) के अनुसार, एक करदाता नियत दिन पर भण्डार में रखे माल और फॉर्म टीआरएएन-1 में घोषित किये गये पर इनपुट कर क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। वह ऐसे माल पर कोई आईटीसी नहीं ले सकता है जो उसमें घोषित नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में केवल ऐसे एचएसएन लाइन मदों को आईटीसी का लाभ लेने के लिए टीआरएएन-2 में जोड़ सकते हैं, जो पहले प्रस्तुत किए गए टीआरएएन-1 के भाग 7बी तालिका 7(ए) और तालिका 7(डी) में घोषित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा के साथ साझा किए गए डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि कुल 468 अलग-अलग एचएसएन में से, जिसके लिए आईटीसी को टीआरएएन-2 के रूप में 17 जीएसटीआईएन द्वारा लाभ उठाया गया था, दो मामलों में, एचएसएन को फॉर्म टीआरएएन-1 में घोषित नहीं किया गया था। हालांकि, प्रणाली ने टीआरएएन-1 में अघोषित मदों पर क्रेडिट लेने के लिए करदाता को अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, एक मामले में, फॉर्म टीआरएएन-1 में विवरणों की घोषणा उसी मद के लिए फॉर्म टीआरएएन-2 की शुरूआती मदों से असंगत थी। इस तरह प्रणाली ने करदाता को टीआरएएन-1 की घोषणाओं के आधार पर योग्यता के अनुसार फॉर्म टीआरएएन-2 की मदों पर आईटीसी लेने से प्रतिबंधित नहीं किया। इसके अलावा, 1108 मामलों में फॉर्म टीआरएएन-1 और फॉर्म टीआरएएन-2 में माप की इकाइयां असंगत थी। जीएसटीएन का जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

---

<sup>43</sup> तालिका 7 (घ) उन माल के भण्डार से संबंधित है जो कर के भुगतान के बीजको/दस्तावेजों के सबूत द्वारा समर्थित नहीं है।

### **3.8.3.10 कानून के अनुसार कर की दर की वैधता के बिना टीआरएएन-2 में क्रेडिट को अनुमति दी**

सीजीएसटी नियम 117(4)(ए)(ii) के अनुसार, फॉर्म टीआरएएन-2 में अग्रेषित मदों पर इनपुट कर क्रेडिट “ऐसे माल पर साठ प्रतिशत की दर पर अनुमति दी जाएगी जो केन्द्रीय कर को नौ प्रतिशत या उसके अधिक और केन्द्रीय कर की अन्य माल के चालीस प्रतिशत की दर से, नियत तारीख के बाद ऐसे माल पर लागू, आकर्षित करता है और ऐसी आपूर्ति पर भुगतान योग्य केन्द्रीय कर के भुगतान के बाद क्रेडिट किया जाएगा”। आईजीएसटी के रूप में कर भुगतान के मामले में, क्रेडिट की दर क्रमशः 30 और 20 प्रतिशत होगी।

जीएसटीएन द्वारा प्रदान किए गए डाटा के विश्लेषण से पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही के लिए फॉर्म टीआरएएन-2 से अग्रेषित क्रेडिट, उपर उल्लिखित नियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं था। कुल 17 जीएसटीआईएन में से 5 जीएसटीआईएन के मामले में विसंगति पाई गई थी जिसके बारे में डाटा प्रदान किया गया था। 1571 ट्रांजेक्शनल रिकॉर्डों में यह देखा गया था कि 110 मामलों में कर का 40 प्रतिशत से अधिक भुगतान आईटीसी के लिए लागू था, इसके बावजूद कि केन्द्रीय कर की दर के अनुसार, कर के भुगतान की राशि 9 प्रतिशत से कम है। जीएसटीएन का जवाब प्रतीक्षित था (दिसंम्बर 2020)।

## **3.9 ई-वे बिल सिस्टम**

### **3.9.1 ईडब्ल्यूबी के विषय में**

ईलेक्ट्रॉनिक वे बिल (या ईडब्ल्यूबी) जीएसटी व्यवस्था के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के प्रत्येक प्रेषण या संचालन के लिए ईलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न किया गया बिल या अहितीय दस्तावेज है। जब ईडब्ल्यूबी उत्पन्न होता है तो एक अद्वितीय ईडब्ल्यूबी संख्या आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता और परिवहनकर्ता को उपलब्ध कराई जाती है। ईडब्ल्यूबी, वे बिल की जगह लेता है जो एक भौतिक दस्तावेज था, और प्रत्येक राज्यों में अलग-अलग माल की आवाजाही के लिए वैट व्यवस्था के दौरान मौजूद था। ईडब्ल्यूबी प्रणाली को 1 अप्रैल 2018 से माल की अन्तर-राज्य आवाजाही के लिए देश भर में शुरू

किया गया था जबकि राज्यों को अन्तरा-राज्य आपूर्तियों के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए 3 जून 2018 तक की कोई तारीख चुनने का विकल्प दिया गया था। बाद में, सभी राज्यों ने अन्तरा-राज्य आपूर्ति के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली को अधिसूचित किया, अंतिम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, जहां ईडब्ल्यूबी प्रणाली को 16 जून 2018 से शुरू किया गया था। यद्यपि जीएसटी ईको प्रणाली का हिस्सा और जीएसटीएन के नियंत्रणाधीन, ईडब्ल्यूबी के लिए आईटी पोर्टल को एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है।

### 3.9.2 ईडब्ल्यूबी के वैधानिक प्रावधान

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 68 सरकार को किसी वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा ले जाए जाने वाले दस्तावेजों या उपकरणों और ऐसे दस्तावेजों की वैधीकरण की पद्धति निर्धारित करने का अधिकार है। यह धारा निर्दिष्ट कर अधिकारियों को ऐसे वाहनों या माल की आवाजाही का निरीक्षण करने का भी अधिकार देता है। इस धारा के आधार पर, सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 138 के तहत विस्तृत प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

यह नियम शुरूआती तौर पर यह निर्धारित करता था कि जब तक जीएसटी परिषद द्वारा ईडब्ल्यूबी प्रणाली विकसित और अनुमोदित नहीं की जाती तब तक सरकार अधिसूचना द्वारा उन दस्तावेजों को निर्दिष्ट कर सकती हैं जो पारगमन में किसी भी माल को ले जाने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति को ले जाने चाहिए। ईडब्ल्यूबी के लिए विस्तृत प्रावधान (अगस्त 2017) नियम 138 में संशोधन करके और सीजीएसटी नियमावली 2017 में 138ए से 138डी तक नए नियमों को शामिल करके जारी किए गए थे। इसके बाद, ईडब्ल्यूबी को दिनांक 7 मार्च 2018 की अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2018 से माल के अन्तर-राज्य आवाजाही के लिए शुरू किया गया था। ईडब्ल्यूबी प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद दिसम्बर 2018 में सीजीएसटी नियमावली 2017 में नियम 138ई को शामिल किया गया था। ईडब्ल्यूबी के दो भाग हैं भाग-ए और भाग-बी। भाग ए में आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता, उत्पाद और बीजक का विवरण शामिल है। भाग-बी में ट्रांसपोर्टर और वाहन संख्या का विवरण शामिल है।

### 3.9.3 ईडब्ल्यूबी के उद्देश्य

ईडब्ल्यूबी के परिकल्पित उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- i. सेल्फ-सर्विस मोड में सम्पूर्ण देश के लिए माल के अन्तर-राज्य और अन्तरा-राज्य के लिए एकल एवं एकीकृत ईडब्ल्यूबी
- ii. सभी राज्यों में माल की निर्बाध आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पेपरलेस और पूरी तरह से ऑनलाइन प्रणाली को सक्षम करना।
- iii. पूरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए तीव्र परिवर्तन काल के साथ सेवा वितरण में सुधार करना और डाटा/सेवाओं के लिए किसी भी समय कहीं भी पहुंच प्रदान करना।
- iv. देश भर में अंतर-राज्य चेक पोस्टों को समाप्त कर माल की बाधा मुक्त आवाजाही को सुगम करना

### 3.9.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

ईडब्ल्यूबी प्रणाली की आईटी लेखापरीक्षा यह सतयापित करने के लिए की गई

- (क) क्या ईडब्ल्यूबी प्रणाली की कार्यात्मकता को परिकल्पित रूप में डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है,
- (ख) क्या प्रौद्योगिकी समाधान, अवसंरचना, प्रलेखन और सुरक्षा के संदर्भ में मजबूत है, और
- (ग) क्या ईडब्ल्यूबी पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल है।

### 3.9.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

एनआईसी, बेंगलुरु द्वारा विकसित ईडब्ल्यूबी प्रणाली ने कर्नाटक राज्य में प्रचलन में ई-सुगम अनुप्रयोग<sup>44</sup> की महत्वपूर्ण विशेषताओं का लाभ उठाया है। वर्तमान में, ईडब्ल्यूबी प्रणाली, दैनिक आधार पर उत्पन्न ईडब्ल्यूबी की बढ़ती मात्रा का प्रभावी रूप से समर्थन कर रही है। एनआईसी ने एक अनुप्रयोग

<sup>44</sup> ई-सुगम पूर्व जीएसटी वैट व्यवस्था में कर्नाटक के भीतर और कर्नाटक के अन्दर एवं बाहर माल जिसका मूल्य निर्धारित सीमा से ऊपर था की आवाजाही के लिए कर्नाटक राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा तय की गई एक प्रक्रिया थी, यह प्रणाली पारगमन दस्तावेज के आधार पर कार्य करती है जिसमें माल का परिवहन करने वाले विक्रेता या विक्रेता द्वारा ऑनलाइन उत्पन्न एक अद्वितीय संख्या ली जाती है। इस प्रकार प्राप्त किए गए अद्वितीय संख्या को चैक पोस्ट पर पहुंचने पर पोस्ट अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना था।

विकसित किया है ईडब्ल्यू प्रणाली में विभिन्न उन्नयनों और विशेषता का संवर्द्धन परिनियोजित किया है।

ईडब्ल्यूबी प्रणाली की पूरी क्षमता को प्राप्त करने और परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वास्तविक समय पर वस्तुओं की भौतिक आवाजाही को ट्रैक करने के लिए परिकल्पित आरएफआईडी प्रणाली का कार्यान्वयन आवश्यक है। हालांकि, आरएफआईडी प्रणाली का कार्यान्वयन नहीं हुआ है। माल की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए आरएफआईडी प्रणाली के कार्यान्वयन में लगातार हो रही देरी से ईडब्ल्यूबी प्रणाली की उपयोगिता कम हो रही है।

हमने जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा के एक हिस्से के रूप में ईडब्ल्यूबी प्रणाली से संबंधित 18 मुद्दों पर लेखापरीक्षा अभियुक्तियां जारी की। इनमें से, 10 अभियुक्तियों को स्वीकार किया गया और आठ अभियुक्तियों को स्वीकार नहीं किया गया। ईडब्ल्यूबी की आईटी लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अभियुक्तियों को अग्रगामी पैराग्राफ में दिया गया है:

### 3.9.5.1 ईडब्ल्यूबी का निरस्तीकरण

जीएसटी नियमावली के नियम 138 (12) में यह परिकल्पना की गई है कि यदि ईडब्ल्यूबी का प्राप्तकर्ता सामान्य पोर्टल पर या माल की डिलीवरी के समय, जो भी पहले हो; उपलब्ध कराए जा रहे विवरण के 72 घंटे के अंदर स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि व्यक्ति ने उक्त विवरण स्वीकार कर लिया है।

हालांकि, बिहार और कर्नाटक राज्यों के लिए जुलाई 2019 से सितंबर 2019 की तिमाही के लिए ईडब्ल्यूबी के सत्यापन पर, यह देखा गया कि:

क) कुल 1988 निरस्त मामलों में से (दोनों राज्यों के लिए) 281 मामलों में 72 घंटे की समाप्ति के बाद ईडब्ल्यूबी की अस्वीकृति की अनुमति नियमों के उल्लंघन में दी गई थी।

ख) 72 घंटे से कम की लघु वैधता अवधि वाले ईडब्ल्यूबी को निरस्त करना ईडब्ल्यूबी की वैधता तक सीमित नहीं था। डाटा सेट (केवल कर्नाटक के लिए) में ऐसे 155 मामले थे जहां ईडब्ल्यूबी की वैधता तिथि के बाद ईडब्ल्यूबी को निरस्त करने की अनुमति दी गई थी। सभी ईडब्ल्यूबी के

लिए 72 घंटे का एक समान सत्यापन नियम प्रदान करने से (72 घंटे से कम वैधता वाला और 72 घंटे से अधिक वैधता वाले) प्रणाली में वस्तुओं के अवैध आवागमन का संभावित जोखिम बढ़ता है।

जवाब में, एनआईसी (जुलाई 2020), ने कहा कि निर्धारित 72 घंटे के बाद ईडब्ल्यूबी की अस्वीकृति ब्राउज़र के कुछ संस्करणों में उपयोगकर्ता द्वारा स्क्रीन मैनीपुलेशन के कारण था और इस मुद्दे को 5 जून 2020 से हल किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनआईसी ने कहा कि "72 घंटों के अंदर निरस्तीकरण या माल की सुपूर्दगी के समय पर जो भी पहले हो" के नियम में परिवर्तन बाद के स्तर पर लागू किया गया था और इसलिए वैधता को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, तथ्य यह है कि अप्रैल 2018 में ईडब्ल्यूबी प्रणाली के कार्यान्वयन से पहले नियम 138 (12) में संशोधन किया गया था। जीएसटीएन ने बाद में कहा (जुलाई 2020) कि उपर्युक्त मामले (ख) का समाधान कर दिया गया है।

### **3.9.5.2 सेज को या द्वारा आपूर्ति**

आईजीएसटी अधिनियम की धारा 7 अंतर-राज्यीय आपूर्ति की प्रकृति को परिभाषित करती है। धारा 7 की उप-धारा (5) के खंड (ख) में कहा गया है कि कोई भी आपूर्ति "किसी सेज डेवलपर या सेज इकाई को या द्वारा" अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई माल या सेवाओं की आपूर्ति या माना जाएगा। इसके साथ-साथ धारा 8 की उप-धारा (1) के परंतुक (i) में कहा गया है कि सेज डेवलपर या सेज इकाई को अथवा उसके द्वारा माल की आपूर्ति को अंतर-राज्य आपूर्ति नहीं माना जाएगा। ईडब्ल्यूबी मॉड्यूल के एसआरएस भी व्यापार नियम (पैरा 4.8.5) को यह कहते हुए वर्णित करते हैं कि "यदि पार्टी में से एक सेज इकाई है, तो आईजीएसटी कर और मूल्यों को पारित करना होगा"।

ईडब्ल्यूबी प्रणाली के फ्रंट-एंड के सत्यापन से ज्ञात हुआ कि सेज उपयोगकर्ताओं (सेज इकाइयों और सेज डेवलपर्स दोनों) को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में लेनदेन को इंगित करने के लिए सेज डेवलपर्स और इकाइयों को या उनसे लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए निर्यात/आयात के विकल्प का उपयोग करना होगा। हालांकि, प्रणाली उपयोगकर्ताओं को सेज डेवलपर्स और इकाइयों द्वारा

या उनको माल की आपूर्ति का चयन अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में करने से नहीं रोकता है। कर्नाटक राज्य के लिए जुलाई से सितंबर 2019 की तिमाही हेतु ईडब्ल्यूबी डाटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 318 मामलों में, उपयोगकर्ताओं ने आईजीएसटी के स्थान पर सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंतर्गत कर के साथ अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में सेज डेवलपर्स द्वारा या उनको माल की आपूर्ति रिकॉर्ड की है।

जीएसटीएन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा (जुलाई 2020) कि आपूर्ति, निर्यात और आयात लेनदेन के लिए प्रणाली में सेज इकाइयों के लिए सत्यापन मौजूद थे। सेज डेवलपर्स के लिए सत्यापन को उनकी स्थिति की अनुपलब्धता के कारण शामिल नहीं किया जा सका, जिसे अब 5 अप्रैल 2020 से लागू किया गया है।

उत्तर केवल लेखापरीक्षा तर्क की पुष्टि करता है। सेज उपयोगकर्ताओं की पहचान आईजीएसटी मूल्यों के लिए तब की जाती है जब वे केवल निर्यात कोड (999999) के साथ निर्यात/आयात विकल्प या केवल आपूर्ति विकल्प का उपयोग करते हैं। सेज इकाइयों और सेज डेवलपर्स के पिन कोड का उपयोग करके सीजीएसटी/एसजीएसटी मूल्यों के साथ अंतर-राज्य आपूर्ति रिकॉर्ड करने से सेज उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित करने के लिए सिस्टम में कोई वैधीकरण नहीं है। जुलाई से सितंबर 2019 (कर्नाटक राज्य के लिए) की तिमाही के लिए 10 सेज इकाइयों के नमूने की जांच से ज्ञात हुआ कि तीन सेज इकाइयों के लिए 22 रिकॉर्ड मौजूद हैं जहां आपूर्ति को आईजीएसटी के बजाय सीजीएसटी/एसजीएसटी रिकॉर्ड करके अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना गया है, जो नियमों के अनुरूप नहीं है।

**सिफारिश 16:** जीएसटीएन सीजीएसटी/एसजीएसटी मूल्यों के साथ अंतर-राज्य आपूर्ति रिकॉर्ड करने से सेज उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित करने के लिए एक कार्यात्मकता लागू करें।

### 3.9.5.3 ईडब्ल्यूबी का विस्तार

जीएसटी नियमावली के नियम 138(10) के दूसरे परंतुक में कहा गया है कि 'जहां, ट्रांस-शिपमेंट सहित असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों में, माल को ईडब्ल्यूबी की वैधता अवधि के अंदर नहीं ले जाया जा सकता है, वहां, यदि



आवश्यकता है तो, ट्रांसपोर्टर फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग बी में विवरण अद्यतित करने के बाद वैधता अवधि का विस्तार कर सकता है। इसी नियम का तीसरा परंतुक बताता है कि 'यह भी प्रावधान किया गया है कि ईडब्ल्यूबी की वैधता इसकी समाप्ति के समय से आठ घंटे के अंदर बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, नियम 138(10) के अंतर्गत स्पष्टीकरण (1) में कहा गया है कि वैधता की अवधि उस समय से मानी जाएगी जिस पर ईडब्ल्यूबी सृजित किया गया है और प्रत्येक दिन को ईडब्ल्यूबी के उत्पादन की तारीख के तुरंत बाद दिन की आधी रात को समाप्त होने वाली अवधि के रूप में गिना जाएगा।

ईडब्ल्यूबी (9,21,880 रिकॉर्ड) के विस्तार सहित बिहार और कर्नाटक राज्यों के लिए जुलाई 2019 से सितंबर 2019 की तिमाही के लिए ईडब्ल्यूबी डाटा के सत्यापन से ज्ञात हुआ कि:

- क) 14064 मामले (केवल बिहार में), ईडब्ल्यूबी का विस्तार इसकी वैधता समाप्त होने के 24 घंटे बाद किया गया है।
- ख) 11647 मामले (बिहार और कर्नाटक दोनों के लिए), ईडब्ल्यूबी की अवधि समाप्त होने से आठ घंटे पहले ईडब्ल्यूबी का विस्तार किया गया है, जो यह दर्शाता है कि ईडब्ल्यूबी प्रणाली में वैधीकरण को शामिल नहीं किया गया था।

जीएसटीएन ने उत्तर में कहा (जुलाई 2020) कि क) ईडब्ल्यूबी के वैधता समय को वैधता तिथि के 23:59:59 घंटे के रूप में पढ़ना होगा, और सभी मामले उस समय से निर्धारित आठ घंटे की सीमा के भीतर हैं; और ख) ईडब्ल्यूबी की समाप्ति से आठ घंटे पहले विस्तार ब्राउज़र के माध्यम से अनुरोध में हेरफेर करने वाले उपयोगकर्ताओं के कारण हुआ। जीएसटीएन ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को 31 जुलाई 2020 से पहले हल किया जाएगा और लेखापरीक्षा को जांच रिपोर्ट प्रदान की जाएगी।

**सिफारिश 17:** जीएसटीएन यह सुनिश्चित करें कि सिस्टम में दर्ज किये गये वैधता समय वास्तविक वैधता समय को दर्शाते हैं।

### 3.9.5.4 पिन कोड के आधार पर दूरी का स्वचालित आकलन

अप्रैल 2019 में लागू ईडब्ल्यूबी प्रणाली के संवर्द्धन में, जीएसटीएन ने ईडब्ल्यूबी के सृजन के लिए पिन कोड के आधार पर दूरी का स्वतः आकलन शुरू किया। कार्यान्वयन विवरण के अनुसार, "ईडब्ल्यूबी प्रणाली आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के पतों के बीच अनुमानित चालित दूरी का आकलन करेगा और इसे दर्शाएगा। उपयोगकर्ता को माल की आवाजाही के अनुसार वास्तविक दूरी दर्ज करने की अनुमति है। हालांकि, यह दर्शाई गई स्वतः संगणित दूरी की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक तक सीमित हो जाएगा।"

हालांकि, जुलाई-सितंबर 2019 की तिमाही के लिए बिहार और कर्नाटक के लिए ईडब्ल्यूबी डाटा के सत्यापन पर, यह देखा गया कि:

क) प्रणाली ने दूरी के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। उदाहरणतः 32 मामलों में, यह देखा गया है कि दर्ज की गई दूरी अवास्तविक रूप से 3500 कि.मी. से अधिक थी, जबकि आपूर्ति की जगह और प्राप्ति की जगह दोनों कर्नाटक राज्य में थे।

ख) 524 मामलों (कर्नाटक से संबंधित 407 मामले और बिहार से संबंधित 117 मामले) में, हालांकि आपूर्ति की जगह और प्राप्ति की जगह अलग-अलग राज्यों में हैं और एक सीमा साझा नहीं कर रहे हैं, वहां, दर्ज की गई दूरी 10 किमी से कम थी। इसके अतिरिक्त, ईडब्ल्यूबी प्रणाली के फ्रंट-एंड की जांच में यह भी पुष्टि की गई कि प्रणाली निचले हिस्से में अवास्तविक दूरी दर्ज करने को प्रतिबंधित नहीं करता है।

जीएसटीएन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा (जुलाई 2020) कि i) डाक विभाग से नियमित रूप से प्राप्त पिन मास्टर को विभाग द्वारा कुछ महीनों में एक बार समेकित किया जाता है, जिसके कारण नए पिन कोड के लिए पिन से पिन दूरी उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे मामलों में, उपयोगकर्ताओं को अपने व्यवसाय में बाधा डाले बिना, 4000 कि.मी. से कम दूरी दर्ज करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन ने कहा कि विभाग के अधिकारियों के लिए ऐसे ईडब्ल्यूबी की जांच करने के लिए एक एमआईएस रिपोर्ट तैयार की जा रही है; और ii) दो अलग-अलग राज्यों के लिए 10 कि.मी. से कम की दूरी का कोई

जोखिम प्रभाव नहीं होता क्योंकि कम दूरी ईडब्ल्यूबी की कम वैधता तिथि दर्शाती है और माल को कम समय में स्थानांतरित करना होता है।

उत्तर पिन मास्टर के आवधिक अद्यतन में अंतर्निहित खामी को इंगित करता है, जो पिन कोड के आधार पर दूरी की स्वतः संगणना की कार्यात्मकता को कम कर रहा है। असाधारण अधिक दूरी दर्ज करने वाले उपयोगकर्ता (जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया है) लंबी वैधता के साथ ईडब्ल्यूबी सृजित करने और कई यात्राओं के लिए एक ही ईडब्ल्यूबी का उपयोग करने के जोखिम से भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन का यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है, कि 10 किलोमीटर से कम दूरी के लिए ईडब्ल्यूबी में कोई जोखिम नहीं है क्योंकि ऐसी अवास्तविक दूरी वाले ईडब्ल्यूबी का तात्पर्य यह हो सकता है कि उपयोगकर्ता संभवतः वास्तव में उनका परिवहन किए बिना माल की आवाजाही के अनुप्रमाणन के लिए एक रिकॉर्ड/दस्तावेज़ बना रहे हैं।

*सिफारिश 18:* जीएसटीएन अद्यतन के लिए एक परिभाषित आवधिकता के साथ पिन मास्टर अद्यतन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करें। जीएसटीएन उपयोगकर्ताओं को अंतर-राज्य परिवहन के लिए असाधारण रूप से अधिक दूरी दर्ज करने से प्रतिबंधित करने के लिए एक *कार्यात्मकता* को लागू करने पर विचार करें। जीएसटीएन उच्चतर स्तर पर दूरी रिकॉर्ड करने के लिए वैधीकरण के समान प्रणाली संगणित दूरी की तुलना में निचले हिस्से पर रिकॉर्डिंग दूरी को सीमित करने के लिए एक कार्यप्रणाली को लागू करने पर विचार करें।

### **3.9.5.5 परिवहन का बहुवाहन स्वरूप**

सीजीएसटी नियमावली के नियम 55 (5) के साथ पठित नियम 138 (5) बैच या लौट में माल के परिवहन की अनुमति देता है और फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग बी में विवरण तदनुसार अद्यतित किया जाना चाहिए जब माल एक वाहन से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है। एसआरएस के पैरा 4.12 में यह भी परिकल्पित है कि ईडब्ल्यूबी प्रणाली उपयोगकर्ताओं अर्थात् आपूर्तिकर्ताओं और ट्रांसपोर्टों को परिवहन के बहुवाहन स्वरूप का विकल्प प्रदान करती है। प्रक्रिया के अनुसार, यदि उपयोगकर्ता गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए परिवहन के एक से अधिक स्वरूप में माल को भेजना चाहता है तो वे परिवहन के बहुवाहन स्वरूप का उपयोग कर सकते हैं। इस

विकल्प का उपयोग करके, उपयोगकर्ता परिवहन के बहु-स्वरूप का चयन कर सकते हैं, आवश्यकता के आधार पर मात्रा को विभाजित कर सकता है और वाहन विवरण अद्यतित कर सकते हैं। इस विकल्प का उपयोग करते समय, स्थानांतरित किए जाने वाले माल की मात्रा ईडब्ल्यूबी के अनुसार मूल मात्रा से अधिक नहीं हो सकती।

जुलाई-सितंबर 2019 की तिमाही के लिए बिहार और कर्नाटक के प्रणाली के फ्रंट-एंड और ईडब्ल्यूबी डाटा के सत्यापन ने बहु-स्वरूप परिवहन विकल्प में निम्नलिखित मुद्दों को इंगित किया:

क) ईडब्ल्यूबी सृजित करते समय एक बार दर्ज की गई मात्रा परिवर्तनों के लिए तब प्रतिसंवेदी हैं जब वाहन विवरण को बहु-स्वरूप विकल्प के साथ ईडब्ल्यूबी में अद्यतित किया जाए। 2212 मामलों में, बहु वाहन स्वरूप के अनुसार कुल मात्रा ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित कुल मात्रा से जब यह मूल रूप से सृजित हुई थी अधिक थी।

ख) वाहन अद्यतन प्रक्रिया के दौरान मूल ईडब्ल्यूबी में निर्दिष्ट माप की इकाई अर्थात बैग, बॉक्स आदि को भी स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है। 39750 मामलों में, ईडब्ल्यूबी को बहु वाहन स्वरूप में अद्यतित करते समय उल्लिखित माप की इकाई समान नहीं है जैसा कि ईडब्ल्यूबी जब यह मूल रूप से सृजित हुई थी तब में उल्लिखित किया है।

इस प्रकार, प्रणाली कुल मात्रा और माप की इकाई के लिए दर्ज मूल्यों की आंतरिक निरंतरता सुनिश्चित नहीं कर रही थी, जिससे संभावित धोखाधड़ी व्यवहार के जोखिम के लिए प्रणाली में संभावना बनी रहती है। जीएसटीएन ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि पॉलिसी अनुभाग के साथ चर्चा के आधार पर इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा।

**सिफारिश 19:** बहु-स्वरूप विकल्प के साथ ईडब्ल्यूबी को अद्यतित करते समय कुल मात्रा और माप की इकाई के लिए दर्ज मूल्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण शीघ्रता से लागू किए जाने की आवश्यकता है।

### 3.9.5.6 रेल द्वारा परिवहन

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 138 (2ए) में यह निर्धारित किया गया है कि रेल द्वारा माल के परिवहन के मामले में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग बी में जानकारी प्रस्तुत करने के बाद ईडब्ल्यूबी सृजित किया जाएगा। एसआरएस (ईडब्ल्यूबी सृजन) के पैरा 4.8 में आगे यह परिकल्पना की गई है कि जब परिवहन का साधन रेलवे है, तो उपयोगकर्ता के लिए ईडब्ल्यूबी सृजित करने के लिए रेलवे रसीद (आरआर) नंबर और तिथि दर्ज करना अनिवार्य है, और "सबमिट" बटन पर क्लिक करने पर, सिस्टम को आरआर नंबर की जांच प्रणाली द्वारा करनी चाहिए। एक वैध आरआर नंबर नौ अंकों की संख्या होती है जो रेलवे द्वारा तब प्रदान की जाती है जब एक ट्रांसपोर्टर रेल कार्गो बुक करता है।

सितम्बर 2019 माह के लिए कर्नाटक राज्य के ईडब्ल्यूबी डाटा के सत्यापन पर, यह पाया गया कि 18 मामलों में आरआर नंबर सृजित ईडब्ल्यूबी में दर्ज नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 23,024 रिकॉर्ड में से 19,104 (83 प्रतिशत) में 9 अंकों के प्रारूप में आरआर नंबर दर्ज नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, फ्रंट-एंड के एक परीक्षण ने दर्शाया कि ईडब्ल्यूबी सिस्टम आरआर नंबर के रूप में किसी भी मूल्य की अनुमति देता है। जीएसटीएन रेलवे के साथ आरआर नंबर के प्रारूप की जांच के बाद उपयुक्त वैधीकरण को शामिल करने के लिए सहमत हुआ (जुलाई 2020)।

**सिफारिश 20:** जीएसटीएन उपयोगकर्ताओं को अनियमित रेलवे रसीद नंबर दर्ज करने से रोकने के लिए एक कार्यात्मकता को शामिल करें जहां परिवहन में रेल द्वारा आवागमन शामिल है।

### 3.9.5.7 विभागीय अधिकारियों के लिए एमआईएस रिपोर्ट

ईडब्ल्यूबी प्रणाली के अधिकारी मॉड्यूल में ईडब्ल्यूबी के सत्यापन, करदाताओं, ट्रांसपोर्टरों, उत्पादों और सेवाओं पर खोज की सुविधा के लिए कार्यात्मकता शामिल हैं। इसमें विभिन्न रिपोर्टें शामिल हैं जो वस्तुओं, जीएसटीआईएन, वाहन संख्या आदि के आधार पर निरीक्षण के लिए नीतिगत स्थानों जैसे पहलुओं पर डाटा चालित विश्लेषण के साथ विभागीय अधिकारियों की सहायता

करती हैं। महत्वपूर्ण डाटा बिंदुओं और बाह्य स्थितियों पर विविध रिपोर्टें हैं, जो माल की अनियमित आवाजाही और कर चोरी का पता लगाने के लिए लक्षित दृष्टिकोण के साथ अधिकारियों की कार्यात्मक क्षमता को संभावित रूप से बढ़ा सकती हैं।

दिसंबर 2019 तक, 19,809 उपयोगकर्ताओं ने अधिकारी मॉड्यूल में पंजीकरण कराया है। हालांकि, जानकारी के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि एप्लीकेशन बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं की जा रही थी। दिसंबर 2019 के दौरान, कुल उपयोगकर्ताओं में से केवल 5 प्रतिशत दैनिक रूप से (अर्थात् महीने के 20 दिनों से अधिक के लिए एमआईएस रिपोर्ट का उपयोग करने वाले अधिकारी) एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे थे। कुछ राज्यों में उपयोग की प्रतिशतता शून्य प्रतिशत से लेकर (उदाहरणतः दिल्ली एनसीटी, जहां 140 उपयोगकर्ता पंजीकृत थे) कर्नाटक में अधिकतम 25 प्रतिशत तक थी।

जीएसटीएन ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि ईडब्ल्यूबी सिस्टम में राज्य और केंद्रीय विभागों के सभी अधिकारियों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की गई एमआईएस रिपोर्ट है और इन प्राधिकरणों को इन रिपोर्टों का व्यापक उपयोग करने की सूचना दी जाएगी।

*सिफारिश 21:* जीएसटीएन नियमित रूप से अधिकारी मॉड्यूल के उपयोग की स्थिति/सीमा कर विभागों के संज्ञान में लाएं। कर विभाग/जीएसटीएन भी अधिकारी मॉड्यूल के उपयोग में कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करें।

### **3.9.5.8 ईडब्ल्यूबी की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट**

जुलाई से सितंबर 2019 की तिमाही के लिए कर्नाटक राज्य से संबंधित ईडब्ल्यूबी डाटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से विशेष रूप से ईडब्ल्यूबी की अस्वीकृति, रद्दीकरण और विस्तार के संबंध में, ईडब्ल्यूबी के सृजन में कुछ उच्च जोखिम पैटर्न और भिन्नता का पता चला, जिसकी विभाग द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है।

### ईडब्ल्यूबी की अस्वीकृति:

- i. 13 उपयोगकर्ताओं के लिए (प्राप्तकर्ता के रूप में), उन्हें आपूर्ति किए गए ईडब्ल्यूबी के 50 प्रतिशत से अधिक को अस्वीकृत के रूप में दर्शाया गया है।
- ii. दो उपयोगकर्ताओं के पास आपूर्ति का 90 प्रतिशत से अधिक ईडब्ल्यूबी है, जिसे अस्वीकृत माना गया।
- iii. 8 उपयोगकर्ताओं (आपूर्तिकर्ता के रूप में) के मामले में, सृजित 50 प्रतिशत से अधिक ईडब्ल्यूबी को अस्वीकार कर दिया गया है।

### ईडब्ल्यूबी को रद्द करना:

- i. 128 उपयोगकर्ताओं (आपूर्तिकर्ता के रूप में) के लिए, सृजित 50 प्रतिशत से अधिक ईडब्ल्यूबी को रद्द दर्शाया गया है।
- ii. नौ उपयोगकर्ताओं के 90 प्रतिशत से अधिक ईडब्ल्यूबी रद्द पाये गये हैं।
- iii. 226 उपयोगकर्ताओं (प्राप्तकर्ता के रूप में) के मामले में, प्राप्तकर्ता के रूप में उनके प्रति सृजित 50 प्रतिशत से अधिक ईडब्ल्यूबी को रद्द दर्शाया गया है।
- iv. 20 उपयोगकर्ताओं के लिए, प्राप्तकर्ता के रूप में उनके प्रति सृजित 90 प्रतिशत से अधिक ईडब्ल्यूबी को रद्द दर्शाया गया है।

### ईडब्ल्यूबी का विस्तार:

192 उपयोगकर्ताओं के लिए (ईडब्ल्यूबी सृजनकर्ता के रूप में), सृजित ईडब्ल्यूबी के 50 प्रतिशत से अधिक को पारगमन में विस्तारित दिखाया गया था, जिनमें से 14 उपयोगकर्ताओं के संबंध में, उनके 90 प्रतिशत से अधिक सृजित ईडब्ल्यूबी विस्तारित किए गए थे।

इस तरह के उच्च जोखिम वाले पैटर्न की आगे की कार्रवाई के लिए विभाग द्वारा उचित के रूप में विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जीएसटीएन ने अपनी प्रतिक्रिया (जुलाई 2020) में कहा कि इन पैटर्न पर नई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

**सिफारिश 22:** जीएसटीएन ईडब्ल्यूबी प्रणाली की प्रभावी निगरानी और निरीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए विवेकपूर्ण पैटर्न की प्रकृति में विश्लेषणात्मक रिपोर्ट लागू करें।

### **3.9.5.9 आपदा राहत (डीआर) प्रबंधन**

डीआर प्रबंधन योजना की समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि एनआईसी ने एक कार्यात्मक डीआर पर्यावरण को प्रक्रियात्मक रूप नहीं दिया है। प्राथमिक साइट को प्रभावित करने वाली आपदा की स्थिति में, सिस्टम को आउटेज का सामना करना पड़ेगा और एक गैर-कार्यात्मक डीआर सेटअप के साथ, ईडब्ल्यूबी सिस्टम को वापस ऑनलाइन लाने के लिए आवश्यक समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, दस्तावेज की जांच से ज्ञात हुआ है कि यह डीआर प्रक्रिया के दौरान उठाये जाने वाले कदमों का वर्णन नहीं करता है। यदि आवश्यकता हो तो ईडब्ल्यूबी प्रणाली के डीआर साइट को सक्रिय करने के लिए दस्तावेज़ ने न तो कार्रवाई और न ही इस संबंध में उनके क्रमांक को सूचीबद्ध किया। मुद्दे-वार वृद्धि मैट्रिक्स और संपर्क विवरण ने विभिन्न शहरों में फैले कई संगठनों को इंगित किया है जिन्हें किसी आपदा की स्थिति में एक साथ काम करने की आवश्यकता होगी। कार्रवाई मर्दों और समन्वय के तरीके का ब्यौरा दिए बिना, यह स्पष्ट नहीं है कि डीआर योजना का अपने वर्तमान रूप में अभीष्ट उपयोग कैसे होगा।

जीएसटीएन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा (जुलाई 2020) कि ईडब्ल्यूबी सिस्टम की डीआर साइट अगस्त 2019 में एनआईसी-हैदराबाद में स्थापित की गई थी और यह पूरी आधारभूत अवसंरचना, एप्लीकेशन और डाटा के साथ परिचालन के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन ने ईडब्ल्यूबी प्रणाली की एक संशोधित बीसीपी और डीआर योजना की सूचना दी (जुलाई 2020)।

हालांकि, तथ्य यह है कि भले ही ईडब्ल्यूबी सिस्टम दो वर्षों से चल रहा है, तथापि, सिस्टम में अभी भी एक कार्यात्मक डीआर स्थापित किया जाना है। कार्यात्मकता आयाम से अंतर्निहित जोखिम संभावना के अतिरिक्त, डीआर सेट-अप के लिए अगस्त 2019 से निर्धारित प्रौद्योगिकी आधारभूत अवसंरचना में



उस अवधि के लिए एक सतत अवसर लागत है जब तक समर्पित आधारभूत अवसंरचना को एक कार्यात्मक डीआर सेट-अप में उपयोग करने के लिए स्थापित नहीं किया जाता। डीआर सेट-अप के लिए एनआईसी द्वारा साझा की गई हार्डवेयर विशिष्टताओं के आधार पर एनआईसीएसआई क्लाउड सर्विस वेबसाइट (<https://cloud.nicsi.nic.in>) में कॉस्ट कैलकुलेटर का प्रयोग करके अनुमानित लागत ₹ 14.30 लाख प्रति माह तक आंकी गई है।

*सिफारिश 23:* जीएसटीएन यह सुनिश्चित करें कि अपेक्षित प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं ताकि डीआर सेट-अप को कार्यात्मक बनाया जा सके।

### 3.10 अन्य मामले

#### 3.10.1 घटना प्रबंधन प्रक्रिया (आईएमपी) की निगरानी

एक घटना कोई भी वृत्तांत है जो किसी सेवा के मानक संचालन का हिस्सा नहीं है और जो सेवाओं की गुणवत्ता में रुकावट या गिरावट का कारण बनती है, या हो सकता है। जीएसटीएन का घटनाओं को वर्गीकृत करने का एक तरीका है जो घटना की गंभीरता पर आधारित है जो एक सीमा है, जिस तक खामी सॉफ्टवेयर को प्रभावित कर सकती है। तदनुसार, तीन स्तर हैं जैसे, गंभीरता 1 (गंभीर व्यावसायिक प्रभाव), गंभीरता 2 (अधिक व्यावसायिक प्रभाव) और गंभीरता 3 (न्यूनतम व्यावसायिक प्रभाव)।

##### 3.10.1.1 समाधान प्रदान करने में देरी

गंभीरता के वर्गीकरण के आधार पर, घटना को निर्धारित प्रतिक्रिया अवधि के अंदर शुरू किया जाना चाहिए और प्रक्रिया दस्तावेज में उल्लिखित निर्धारित समाधान अवधि के अंदर सेवा फिर से शुरू की जानी चाहिए। हमने पाया कि 17 उच्च प्राथमिकता (पी1) घटनाओं में से 14 में, समाधान समय (60 मिनट) निर्दिष्ट समय से अधिक था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका संख्या 3.2: घटना समाधान अवधि

गंभीरता	प्रकृति	समाधान समय	घटनाओं की कुल संख्या	निर्धारित समाधान समय से अधिक समय लेने वाले घटनाओं की संख्या
I	अत्यधिक व्यावसायिक प्रभाव	60 मिनट	17	14

जीएसटीएन ने कहा (अगस्त 2020) कि हालांकि, जीएसटी प्रणाली में किसी घटना का अंतिम परिणाम/प्रभाव एक जैसा या समान हो सकता है फिर भी घटनाओं का मूल कारण आमतौर पर अलग होता है। इसलिए, प्रणाली की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, किसी सेवा को बहाल करने के लिए सेवा स्तर समझौते (एसएलए) के अंतर्गत निर्धारित से अधिक समय लगता है। एसएलए अनुपालन को प्रमाणित करने के लिए, जीएसटीएन और एमएसपी ने एक ही मूल कारण वाली घटना की पुनरावृत्ति को कम करने और सेवा की बहाली के लिए समय-सीमा में सुधार करने के लिए प्रणाली की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने में सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है। जीएसटीएन ने इस संबंध में अग्रलिखित कार्रवाइयों का विवरण दिया:

- संदर्भ के लिए आसान बनाने और बहाली के समय को कम करने के लिए घटना/मूल कारण/समाधान के ज्ञान भंडार का डिजिटलीकरण और अद्यतन पहला। सेट मई 2020 से प्रभावी रूप से चालू किया गया है और इसे निरंतर आधार पर किया जा रहा है।
- आवर्ती मुद्दों को खत्म करने और प्रणाली लचीलेपन में सुधार के लिए निष्पादन इष्टतमीकरण को बढ़ाने के लिए डिजाइन/कोड स्तर सुधार। इसे जून 2020 से प्रचालनात्मक रूप से प्रभावी बनाया गया है और यह निरंतर आधार पर किया जा रहा है।
- समरूपता और भार से संबंधित मुद्दों को खत्म करने के लिए आधारभूत अवसंरचना लेयर और नेटवर्क लेयर पर पूर्ण क्षमता संवर्धन। इसे 18 जून 2020 और 7 जुलाई 2020 को पूरा किया गया है।

जीएसटीएन ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं, जहां मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) या तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता पर निर्भरता शामिल है या जिसके लिए यंत्र/उपकरण प्रतिस्थापन/उन्नयन की आवश्यकता होती है, में एसएलए के अंतर्गत निर्धारित समय से अधिक समय लग सकता है क्योंकि यह जीएसटीएन और एमएसपी के उचित नियंत्रण से परे है।

*सिफारिश 24:* जीएसटीएन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घटनाओं का समाधान घटना प्रबंधन प्रक्रिया में निर्धारित समय सीमा के अनुसार किया गया हो।

### 3.10.2 लाइसेंस प्रबंधन

जीएसटीएन के लाइसेंस प्रबंधन प्रक्रिया (एलएमपी) दस्तावेज के अनुसार, लाइसेंस प्रबंधन शुरू से अंत तक खरीदे गए लाइसेंस के हर पहलू का प्रबंधन और पता लगाने की क्षमता है, और इसमें प्रमुख प्रक्रिया क्षेत्र अर्थात लाइसेंस का नाम, ओईएम का नाम, खरीदे गए/तैनात/अतिरिक्त लाइसेंस की संख्या और इसकी वैधता, लाइसेंस का मीट्रिक, आवधिक समीक्षा आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि लाइसेंस तैनाती व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार की जाएगी। एस्सेट मैनेजर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस (एसक्यूए) और एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट (एआईएस) टीम उपयोगकर्ता होंगी और एलएमपी के लिए जिम्मेदार होंगी। वे समय-समय पर निर्धारित टेम्पलेट के अनुसार सभी सॉफ्टवेयर लाइसेंस विवरण (वितरित मात्रा, वैधता, उपयोग, स्पेयर) को ट्रैक और कैप्चर करते हैं। एलएमपी टीम हर महीने सॉफ्टवेयर लाइसेंस की समीक्षा करेगी और समीक्षा की आपत्तियों/टिप्पणियों को एक सप्ताह के भीतर बंद करेगी।

मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) दस्तावेज की संवीक्षा से ज्ञात हुआ है कि हेल्पडेस्क और इंफोसिस की आंतरिक टीमों द्वारा 26/09/2019 (08:30 पूर्वाह्न पर) के सूचित करने के बाद एक घटना बनाई गई कि जीएसटी पोर्टल काम नहीं कर रहा था या उपयोगकर्ता पोर्टल पर लॉगइन नहीं कर पा रहे थे। सुबह 10:00 बजे तक सेवाएं प्रभावित रहीं क्योंकि घटना प्रबंधन टीम ने इस मुद्दे को अस्थायी रूप से सुलझाया था। हालांकि, इस बीच, टीम ने इस मुद्दे का विश्लेषण किया और यह पाया कि सभी चार

(डीसी1 और डीसी2)<sup>45</sup> बंडल मक्कैफी एवी लाइसेंस सीएस<sup>46</sup> उपकरणों के लिए समाप्त हो गये थे। सभी चार लाइसेंसों को जीएसटीएन द्वारा नवीनीकृत और सिंक किया गया था। यह मामला 08:07 रात्रि तक निपटा लिया गया और समाधान के लिए लगभग 12 घंटे लग गए। उपर्युक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लाइसेंसों के नवीकरण के लिए उचित निगरानी नहीं की जा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य घटना हुई जिससे पूरा जीएसटी पोर्टल प्रभावित हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि आधारभूत अवसंरचना को चालू करने के समय, सभी सॉफ्टवेयर लाइसेंस को एग्रीड बिल ऑफ मैटेरियल (बीओएम) के अनुसार परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया गया था। हालांकि, जब से मक्कैफी एंटीवायरस लाइसेंस उपकरणों में डाला गया था, तब से ये बीओएम और परिसंपत्ति रजिस्टर में अलग लाइसेंस के रूप में दर्ज नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप, इन प्राप्त हुये लाइसेंसों की वैधता की जानकारी लाइसेंस प्रबंधन टीम को नहीं थी। परिसंपत्ति रजिस्टर में लाइसेंस विवरण प्राप्त करने में अंतराल था क्योंकि ओईएम स्पष्ट रूप से बीओएम के भाग के रूप में प्राप्त हुये लाइसेंस विवरण का उल्लेख करने में विफल रहा था।

इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन ने कहा (अगस्त 2020) कि लाइसेंस प्रबंधन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है और एमएसपी के साथ मासिक संवीक्षा की जा रही है। संचालन संवीक्षा बैठकों के दौरान लाइसेंस समाप्ति की स्थिति को ट्रैक किया जा रहा है। अक्टूबर 2019 में सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी और आगे कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

### **3.10.3 पीक फाइलिंग दिनों में जीएसटी पोर्टल निष्पादन**

जीएसटीएन की मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार - ईष्टतम तैयारी, संसाधनों का प्रवर्धन, विभिन्न घटकों की स्वास्थ्य जांच, टीमों की सक्रिय

<sup>45</sup> डाटा सेंटर: डीसी1 (दिल्ली की एनसीटी) और डीसी2 (बेंगलुरु)

<sup>46</sup> कन्टेन्ट एडरेस्ड स्टोरेज (सीएस) डिस्क पर एक स्थायी स्थान निर्दिष्ट करके निश्चित सामग्री (डाटा जिसे अपडेट नहीं किया जाना है) तक तेजी से एक्सेस प्रदान करने का एक तरीका है। सीएस इस तरह से संग्रहीत करके डाटा पुनः प्राप्त करता है कि एक बार संग्रहीत होने के बाद किसी ओब्जेक्ट को डुप्लिकेट या संशोधित नहीं किया जा सकता है; इस प्रकार, इसका स्थान स्पष्ट है।

उपलब्धता और सर्किट ब्रेकर (पोर्टल उपयोगकर्ता समरूपता) जैसी गतिविधियों को पीक अवधि से पहले किया जाना आवश्यक है। नीचे दी गई 2 तिथियाँ प्रणाली के दृष्टिकोण से प्राथमिक समय अवधियाँ हैं:

- जीएसटीआर3बी - महीने की 18 से 20 तारीख तक।
- जीएसटीआर1 - महीने की 9 से 11 तारीख तक

विभिन्न घटनाओं से संबंधित आरसीए दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, हमने पाया कि पीक फाइलिंग के दिनों में जीएसटी पोर्टल में लगातार व्यवधान/गैर-कार्यान्वयन हो रहा था और करदाताओं को विभिन्न प्रकार के विवरणी दाखिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। हमने पाया कि अक्टूबर, 2018 से फरवरी, 2020 तक इसी मुद्दे पर पांच घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के कारण प्रभावित सेवाओं की अवधि अक्टूबर, 2018 से फरवरी, 2020 तक 2 घंटे से 55 घंटे (लगभग) के बीच थी। आरसीए के दस्तावेजों के अनुसार घटनाओं के कारणों में पीक फाइलिंग दिनों पर अधिक लोड, सीपीयू का अधिक उपयोग, विवरणी एपीआई पर लोड, अपेक्षित लोड के अनुसार विन्यास नहीं बढ़ने आदि जैसे मुद्दे शामिल हैं।

पीक फाइलिंग तिथियों पर जीएसटी पोर्टल के लगातार व्यवधान से ज्ञात होता है कि जीएसटी पोर्टल जीएसटी के आरंभ के ढाई साल बाद भी अपेक्षित लोड/समवर्ती उपयोगकर्ताओं को संभालने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में, जीएसटीएन ने कहा कि लॉन्च के बाद से पोर्टल पर देखी गई अधिकतम पीक क्षमता लगभग 1.56 लाख समवर्ती उपयोगकर्ता हैं। इसके अतिरिक्त, जीएसटी प्रणाली लगभग 1500 बैंक ऑफिस उपयोगकर्ता सत्र, सरकारी सत्रों से करीब 50,000 एपीआई सत्र और 1.5 लाख जीएसटी सुविधा प्रदानकर्ता (जीएसपी) एपीआई सत्र संभालती है।

जीएसटीएन ने बताया कि जब जीएसटी लागू हुआ था, उस समय जीएसटी पोर्टल की उच्चतम समवर्तता, पंजीकरण की मूल अनुमानित संख्या के आधार पर 25,000 अनुमानित थी जो आरएफपी के अनुसार लगभग 64 लाख था। अगले पांच वर्षों में अपेक्षित वृद्धि की संभावना के अनुसार, आरएफपी ने आदेश दिया, कि सुरक्षा और नेटवर्क उपकरणों के प्रत्याशित लोड को दोगुना किया

जाए यानी-50,000 समवर्ती उपयोगकर्ता। पंजीकरण की संख्या में वृद्धि के पैटर्न के आधार पर, जीएसटीएन प्रणाली के समरूपता डिजाइन लोड को संशोधित किया गया है और इसे 1.5 लाख अर्थात् मूल डिजाइन अनुमान का लगभग छः गुना तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, कुछ परिदृश्यों के कारण जैसे दो अंतिम तिथियों के अनुरूप होना, जीएसटीआर-3बी आदि की फाइलिंग की अंतिम तारीख के अनुरूप जीएसटीआर-1 विवरणी की एमनेस्टी योजना/अंतिम तिथि विस्तार/कुछ परिदृश्यों में दाखिल करने की अंतिम तिथि के कारण समवर्ती उपयोगकर्ताओं की संख्या जीएसटी पोर्टल क्षमता से अधिक थी और इसलिए प्रणाली का निष्पादन प्रभावित हुआ। जीएसटीएन ने सूचित किया कि जीएसटी पोर्टल को अब 3 लाख समवर्ती उपयोगकर्ता सत्रों को संभालने के लिए उन्नयन किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

हमने पीक लोड को संभालने के लिए प्रणाली की क्षमता पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन पर आवधिक भार/तनाव परीक्षण का ब्यौरा भी मांगा है। जीएसटीएन ने उत्तर दिया कि जीएसटीएन और एमएसपी के बीच अनुबंध की शर्तों के अनुसार, एमएसपी सृजन वातावरण में गो-लाइव से पहले 50,000 समवर्ती उपयोगकर्ता भार पर जीएसटी प्रणाली के निष्पादन को दर्शाने के लिए बाध्य है। एमएसपी ने पंजीकरण, विवरणी फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी जैसी प्रत्येक कार्यात्मकता के लॉन्च से पहले सहमत मानदंडों के अनुसार निष्पादन/दबाव जांच को सफलतापूर्वक पूरा किया। मुख्य जीएसटी विवरणी फार्म (जीएसटीआर-3बी) ने भी जनता को उपलब्ध कराए जाने से पहले अगस्त-2017 में इस तरह के निष्पादन परीक्षण को पास किया था। चूंकि पोर्टल पर सहमति के रूप में 50,000 समवर्ती उपयोगकर्ता सत्र से अधिक वृद्धि हुई, अतः एप्लीकेशन ने दबाव के लक्षण दिखाने शुरू कर दिये। इसके उत्तर में, एमएसपी ने एप्लीकेशन स्वरूप को पुनः डिजाइन किया और नवंबर-2018 के महीने में 90,000 समवर्ती उपयोगकर्ताओं के बढ़े हुए भार पर निष्पादन जांच को दोहराया।

इसके लिए पूछे जाने के बावजूद, हमें नवंबर 2018 परीक्षण से लोड जांच रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है। नवंबर 2018 लोड टेस्ट में, अधिकतम समवर्ती लोड परीक्षण लगभग 1.6 लाख उच्चतम समवर्तता के मुकाबले केवल

90,000 समवर्ती उपयोगकर्ता थे। यहां तक कि 90,000 लोड पर भी, पोर्टल को समस्याओं का सामना करना पड़ा था और तनाव दिखा था। ऐसे परिदृश्य में, आवधिक भार/तनाव/मजबूत परीक्षण कार्रवाई का आदर्श आधार होना चाहिए था ताकि जीएसटीएन पीक लोड के लिए तैयार हो सके।

हम उच्चतम समवर्तता पर आरएफपी में पहले के अनुमानों के बारे में जीएसटीएन तर्क से सहमत हैं जो व्यापक रूप से लक्ष्य से दूर है। जीएसटी पोर्टल जैसी कुछ समानताओं के साथ एक प्रणाली डिजाइन करते समय ऐसा परिदृश्य संभव है। हालांकि, हमें इसके बाद क्षमता बढ़ाने में जीएसटीएन की दक्षता पर चिंता है। यह स्वीकार्य नहीं है कि प्रणाली अभी भी आरंभ के तीन साल बाद पीक लोड को संभालने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त, लोड परीक्षण जैसे मुद्दों पर, आरंभ समय के दौरान लोड परीक्षण करने और उसके बाद कम कार्रवाई करने की अपेक्षा अधिक सक्रिय दृष्टिकोण की उम्मीद है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, जीएसटीएन ने बताया कि उसने हाल ही में 3 लाख समवर्ती उपयोगकर्ता की उच्चतम क्षमता को हैंडल करने के लिए प्रणाली का उन्नयन किया है। यह सूचित किया गया कि जीएसटीएन 5 लाख समवर्ती उपयोगकर्ताओं को संभालने के लिए प्रणाली क्षमता का उन्नयन करने की प्रक्रिया में था। जीएसटीएन ने यह भी उत्तर दिया कि उन्होंने सृजन वातावरण में बदलाव जारी करने से पहले उच्चतम समवर्तता उपयोगकर्ताओं का पोर्टल निष्पादन पर इसके प्रभाव के लिए किसी भी नए बदलाव की जांच करने के लिए एक अभीष्ट जांच वातावरण तैयार किया है।

*सिफारिश 25:* जीएसटीएन पीक फाइलिंग दिनों में खराब पोर्टल निष्पादन के मुद्दे का व्यापक विश्लेषण करें, और आवश्यकता पड़ने पर पोर्टल आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करें।

#### **3.10.4 व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन योजना**

जीएसटी आईटी प्रणाली की कार्यात्मकता में किसी भी तरह का व्यवधान चाहे अस्थायी प्रकृति का देश के अप्रत्यक्ष कर प्रशासन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए, व्यापार निरंतरता प्रबंधन प्रक्रिया (बीसीएमएस) की एक

व्यापक नीति और इसका उचित कार्यान्वयन परियोजना के सभी पणधारकों के लिए महत्वपूर्ण है।

जीएसटीएन ने 28 मार्च 2019 को बीसीएमएस (संस्करण 1.4) जारी किया है। इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक सेवाओं, आपदा घटनाओं की भावी श्रेणी, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, राहत योजना और आपदा के बाद व्यापार संचालन के पूर्व-परिभाषित स्तरों पर बहाली योजना की पहचान करना है।

#### **3.10.4.1 आपदा राहत ड्रिल योजना**

जीएसटीएन ने आपदा की स्थिति में सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी आईटी प्रणाली के लिए अपनी डीआर योजना जारी की है।

एमएसपी के साथ जीएसटीएन के एसएलए दस्तावेज के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि हर साल दो डीआर ड्रिल किए जाने चाहिए। डीआर योजना की धारा 3.5.4 के अनुसार, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 30 मिनट और गैर-महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 4 घंटे की योजनाबद्ध डाउनटाइम/रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव<sup>47</sup> (आरटीओ) के अन्दर सेवाओं के फेलओवर होने का परीक्षण करने के लिए डीआर ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा। डीआर योजना के परीक्षण का उद्देश्य वैकल्पिक डीसी<sup>48</sup> के लिए सेवाओं की एक विश्वसनीय फेलओवर सुनिश्चित करना है।

हमने पाया कि जीएसटीएन ने 2019-20 में आवश्यकतानुसार दो सफल डीआर ड्रिल नहीं किए।

इसके अतिरिक्त, 5 मार्च, 2020 को आपदा घटना से संबंधित दस्तावेजों की जांच में यह ज्ञात हुआ कि 5 घंटे की योजनाबद्ध अवधि के अंदर परिवर्तन (डीसी1 डीबी विफलता) के कार्यान्वयन के दौरान डीसी1 का डाटाबेस शुरू नहीं हो रहा था। इसलिए, एक घटना बनाई गई और डीसी2 वातावरण के लिए

---

<sup>47</sup> आरटीओ समय की लक्षित अवधि और एक सेवा स्तर है जिसके भीतर व्यापार निरंतरता में अन्तराल के साथ जुड़े अस्वीकार्य परिणामों से बचने के लिए एक व्यापार प्रक्रिया एक आपदा (या व्यवधान) के बाद बहाल की जानी चाहिए।

<sup>48</sup> डाटा सेंटर: डीसी1 (दिल्ली की एनसीटी) और डीसी2 (बेंगलुरु)



स्विच करने के लिए निर्णय 7.21 पूर्वाह्न पर लिया गया था। डीसी2 के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं का स्विच ओवर 8.40 पूर्वाह्न शुरू कर दिया।

हालांकि, हमने पाया कि डीसी2 में केवल 10 पूर्वाह्न तक महत्वपूर्ण सेवाएं बहाल की जा सकी। इस प्रकार, डीसी1 से डीसी2 के लिए एक अनियोजित स्विचओवर में, महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए 30 मिनट की डाउनटाइम विंडो के प्रति महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए 2.39 घंटे लग गए (डीसी2 में स्विचओवर पर निर्णय के बाद)। डीसी2 में बैकअप की बहाली को 13.20 तक पूरा किया जा सका, इस प्रकार 4 घंटे के लक्षित डाउनटाइम के प्रति पूरी सेवाओं को बहाल करने के लिए 6 घंटे लगे।

लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर में, जीएसटीएन ने कहा (20 जून) कि अप्रैल 2019 में की गई डीआर ड्रिल महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण दोनों सेवाओं के लिए आरटीओ के संदर्भ में सफल रही। जीएसटीएन ने सूचित किया कि अगली डीआर ड्रिल की 1 सितंबर 2019 को कोशिश की गई थी। ड्रिल के दौरान, महत्वपूर्ण सेवाओं को सफलतापूर्वक स्विच ओवर कर दिया गया था, परन्तु गतिविधि में गैर महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भंडारण से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ा, और संचालन प्राथमिक डीसी पर स्विच कर दिये गये थे। इसके बाद, सितंबर 2019 के बाद कई बार डीआर ड्रिल की योजना बनाई गई थी, परन्तु तत्काल आवश्यक महत्वपूर्ण कार्यक्षमताओं के आरंभ और विवरणी की पीक फाइलिंग के कारण रद्द करना पड़ा जिसके कारण डीआर ड्रिल का संचालन करने के लिए एक उपयुक्त विंडो नहीं आ सकती थी। जीएसटीएन ने कहा कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया गया है, और इस तरह से काम किया जा रहा है कि किसी भी वास्तविक समय आपदा के लिए प्रणाली को तैयार रखने के लिए डीआर ड्रिल अधिक बार किया जाये।

ये मुद्दे दर्शाते हैं कि डीआर तंत्र स्थिर नहीं हुआ है और लक्षित आरटीओ प्राप्त नहीं किया गया है। डीआर ड्रिल भविष्य में किसी भी विफलता/आपदा के लिए प्रणाली तैयार करने के लिए वांछित आवृत्ति पर नहीं हो रही है।

जीएसटीएन ने कहा (अगस्त 2020) कि आपदा के लिए हर समय तत्परता सुनिश्चित करने के लिए, जीएसटीएन और एमएसपी त्रैमासिक डीसी-डीआर स्विचओवर और नामित तिथियों के साथ एक स्विचओवर कैलेंडर बनाने और

व्यावसायिक कारणों के कारण प्रस्तावित तिथि व्यावहारिक नहीं होने की स्थिति में अन्य तिथि पर सहमत हो गए हैं।

**सिफारिश 26:** जीएसटीएन यह सुनिश्चित करें कि आरटीओ लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए और तदनुसार डीआर प्रक्रिया को मजबूत किया जाए ताकि आपदा की स्थिति में महत्वपूर्ण सेवाओं को उचित समय पर बहाल किया जा सके।

### 3.11 निष्कर्ष

प्रतिदाय मॉड्यूल में पर्याप्त नियंत्रण के अभाव में असत्यापित आईटीसी पर प्रतिदाय के दावे की संभावना है। इसी तरह, टीआरएएन-1 और टीआरएएन-2 प्रपत्रों के माध्यम से दावा किए जा रहे ट्रांजिशनल क्रेडिट के मामले में नियंत्रण की कमी से यह पता चलता है कि अयोग्य आईटीसी का दावा किया जा सकता है।

रिटर्न मॉड्यूल का अधूरा रोलआऊट इस तथ्य के साथ कि जीएसटीएन ने अपेक्षित जानकारी प्रदान नहीं की, विवरणी मॉड्यूल में प्रचलित जोखिमों और कमजोरियों पर आश्वासन प्रदान करना कठिन है।

ईडब्ल्यूबी मॉड्यूल के संबंध में, डाटा विश्लेषण में बताई गई विसंगतियों को देखते हुए ऐसे पैटर्न की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। जहां तक जीएसटी पोर्टल के निष्पादन का सवाल है, उच्चतम क्षमता को संभालने के लिए प्रणाली का उन्नयन करने के अतिरिक्त, इस प्रतिवेदन में बताई गई घटनाओं के कारणों की विस्तार से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, हमने मंत्रालय/जीएसटीएन पर विचार करने के लिए 26 सिफारिशों की हैं। सिफारिशें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित मॉड्यूल में पर्याप्त सत्यापन के कार्यान्वयन; जीएसटी कानूनों और नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रणाली में कार्यक्षमताओं का समावेश; और जीएसटी प्रशासन को मजबूत करने के लिए नियमों/फार्मों में उचित परिवर्तन से संबंधित हैं।